बाल संरक्षण

एक पहल

वार्षिकांक 2016

unicef

राजस्थान पुलिस अकादमी

जयपुर

बाल संरक्षण... एक पहल

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

एवं

unicef

वार्षिकांक

2016

सेन्टर फॉर डवलपमेन्ट ऑफ पुलिस साईन्स एण्ड मैनेजमेन्ट

वार्षिकांक
2016

प्रधान सम्पादक

राजीव दासोत, आई.पी.एस.
अति. महानिदेशक पुलिस एवं
निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी

सम्पादक

अनुकृति उज्जैनियाँ, आर.पी.एस.
अति. पुलिस अधीक्षक एवं
सहायक निदेशक,
राजस्थान पुलिस अकादमी

सदस्यगण

धीरज वर्मा
पुलिस निरीक्षक

यदुराज शर्मा
परामर्शद्

विश्वास शर्मा
परामर्शद्

शालिनी सिंह
परामर्शद्

मुद्रक
डिजीटल प्रिन्ट सोल्यूशन
बी–50, करतारपुरा इण्ड. एरिया, 22–गोदाम
फोन : 0141–4043939

गुलाबचन्द कटारिया
मंत्री
गृह एवं न्याय, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा, जेल,
आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग

सत्यमेव जयते

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के द्वारा यूनिसेफ राजस्थान के सहयोग से बाल संरक्षण विषय पर मूलभूत एवं सेवारत पुलिस अधिकारियों के साथ विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इन प्रशिक्षणों का मुख्य उद्देश्य बाल संरक्षण के विभिन्न मुद्दों पर पुलिसकर्मियों को बच्चों से संबंधित कानूनों, बच्चों पर लागू राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सन्धियों की जानकारी देना एवं बच्चों से संबंधित कार्यवाहियों के निष्पादन के लिए विशेष सत्रों को आयोजन प्रशिक्षणों में किया जाता रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु एक वार्षिकांक का प्रकाशन किया जा रहा है।

मुझे आशा है कि राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर के द्वारा टोंक जिले को बाल संरक्षण के परिपेक्ष्य में बाल मित्रवत् जिला बनाने की अभिनव पहल की गयी है, जिसमें पुलिस अधिकारियों, आरक्षियों सहित अन्य जिम्मेदार सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं को भी शामिल किया गया है, जिसके फलस्वरूप बेहतर प्रयास एवं वातावरण का निर्माण हो रहा है।

वार्षिकांक के सफल प्रकाशन के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

(गुलाबचन्द कटारिया)

मनोज भट्ट
भा.पु.सेवा
महानिदेशक पुलिस, राजस्थान

संदेश

राजस्थान पुलिस बच्चों के अधिकारों, उनके विकास एवं सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा बाल संरक्षण विषय पर सेवारत अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण प्रशिक्षणों का आयोजन करवाया जाता रहा है, जिससे कि राजस्थान की पुलिस बच्चों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखते हुए उनके सर्वोत्तम हित में कार्य कर सके।

बाल सुरक्षा को लेकर केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कानून बनाये गये हैं जिनका निष्पक्ष क्रियान्वयन पुलिस का दायित्व है। राजस्थान में इस हेतु जिला एवं थाना स्तर पर मानव तस्करी विरोधी इकाई, विशेष किशोर पुलिस इकाई तथा महिला एवं बाल डेस्क का गठन किया गया है।

राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा विभिन्न रेंज एवं जिला स्तर बाल संरक्षण पर पुलिस एवं अन्य संगठनों के साथ सामूहिक प्रशिक्षणों का आयोजन एक सराहनीय प्रयास है। अकादमी द्वारा प्रकाशित वार्षिकांक निश्चित ही बालकों से जुड़ी सभी एजेन्सियों के लिए लाभकारी होगा। मैं वार्षिकांक के सफल प्रकाशन पर हार्दिक बधाई देता हूँ।

(मनोज भट्ट)

Samuel Mawunganidze
Chief
UNICEF Office for Rajasthan

Message

Children are the most vulnerable and at risk members of our society. The police together with the community play a critical role as the first point of contact for children either in need of care and protection or in conflict with the law. Rajasthan Police Academy (RPA) in partnership with UNICEF has, in recent years, been establishing a child friendly policing system at a number of district police stations in the state. This has seen an encouraging results in child friendly policing support in schools and villages.

Establishment of Centre for Social Defense and Gender Studies at RPA, has made significant contribution in enhancing institutional capacity in evidence based knowledge management and human resource development of police officers and other stakeholder in the area of child protection and child rights. Through training, research, documentation, IEC and case studies on the issues concerning children, the RPA is increasingly become knowledge centre of excellence in child care and protection focused policing services.

Reading through this 2016, Annual Report, I am impressed by the outcome results of the RPA team in creating an enabling community policing service, which has been adding value in the care and protection of children, woman and other vulnerable members of society. A number of the RPA initiatives covered in this publication, demonstrate high probability of scale up and effective community and children engagement with the police.

I encourage you to read through this publication, which I found quite educative and informative in terms of of RPA's contribution and accountability towards child and women friendly policing services and coverage.

It's a great honor for UNICEF Rajasthan to be a collaborative partner with RPA, in the protection of children's rights, helping children meet their basic needs and expand children's opportunities to reach their full potential.

(Samuel Mawunganidze)

राजीव दासोत
आई.पी.एस.
अति. महानिदेशक पुलिस एवं निदेशक,
राजस्थान पुलिस अकादमी

सत्यमेव जयते

संदेश

राजस्थान पुलिस प्रत्येक स्तर पर बच्चों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। बच्चों के साथ होने वाली विभिन्न तरह की हिंसा, दुर्व्यवहार, शोषण, बालश्रम, बाल तस्करी आदि को प्रभावी रूप से रोकने एवं उपेक्षित बच्चों को संरक्षण सेवाओं से जोड़ने से पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अतिरिक्त विधि का उल्लंघन करते पाये जाने वाले बालकों एवं देखरेख व संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण अपनाते हुए बाल मित्र पुलिस व्यवस्था की परिकल्पना को साकार करने हेतु राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा यूनिसेफ, राजस्थान के सहयोग से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।

राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा अकादमी, जिला एवं संभाग स्तर पर भी बाल संरक्षण से जुड़ी अन्य सरकारी व गैर सरकारी एजेन्सियों के साथ समन्वयात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में टोंक जिले को बाल मित्रवत जिला एवं सदर थाने को बाल मित्रवत थाना बनाये जाने की दिशा में भी अकादमी प्रयासरत है। यह वार्षिकांक अकादमी द्वारा किये जा रहे प्रयासों का एक संक्षिप्त दर्पण है जो बाल मित्रवत प्रक्रियाओं के मार्गदर्शन एवं अन्य संस्थाओं के साथ समन्वय बनाने में सहायक होगा, ऐसी मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है।

मैं वार्षिकांक के सफल प्रकाशन के सराहनीय प्रयासों के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ।

(राजीव दासोत)

एन.एल. मीना I.A.S.
आयुक्त
बाल अधिकारिता विभाग

सत्यमेव जयते

शुभकामना संदेश

अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के द्वारा बाल संरक्षण विषय पर एक वार्षिकांक का प्रकाशन किया जा रहा है। अकादमी द्वारा यूनिसेफ राजस्थान के सहयोग से बाल संरक्षण विषय पर मूलभूत एवं सेवारत पुलिस अधिकारियों के साथ विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इन प्रशिक्षणों का मुख्य उद्देश्य बच्चों को विभिन्न कानूनों की जानकारी प्रदान करना, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों की जानकारी देना है। उपलब्ध करायी जा रही जानकारियों से बालकों के हितों के संरक्षण एवं कल्याण में सहयोग प्राप्त होगा ऐसी पूर्ण उम्मीद है।

बाल संरक्षण के परिप्रेक्ष्य में टोंक जिले को बाल मित्रवत् जिला बनने की अभिनव पहल के लिए अकादमी बधाई की पात्र है।

मैं आशा करता हूँ कि बच्चों की मानव तस्करी की रोकथाम के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं, पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बेहतर प्रयासों से एवं उपयुक्त वातावरण के निर्माण होने से मानव तस्करी विशेषतौर पर बाल तस्करी पर रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण पहल होगी।

वार्षिकांक के प्रकाशन हेतु बधाई एवं शुभकामनाएँ।

(एन.एल. मीना) I.A.S.
आयुक्त
बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर

टी. एल. मीणा
आई.पी.एस.
अति. महानिदेशक पुलिस
ए.एच.टी., राजस्थान

संदेश

'बाल संरक्षण' विषय पर राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा प्रकाशित वार्षिकांक के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं।

निश्चय ही बाल संरक्षण की प्रभावी कार्यवाहियों के निष्पादन के लिए आप द्वारा आयोजित विशेष सत्र एवं प्रशिक्षण काफी उपयोगी व हितकर होंगे।

टोंक जिले को 'बाल संरक्षण' के परिपेक्ष्य में मित्रवत् बनाने व सदर थाने को बाल मित्रवत् गतिविधियों के प्रभावीकरण हेतु मॉडल थाने के रूप में तैयार करने की पहल इस दिशा में प्रेरित करने का सार्थक प्रयास साबित होगी।

इन उपलब्धियों के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा प्रकाशित वार्षिकांक के लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ एवं ऐसे प्रयास निरन्तर किये जावे ऐसी कामना करता हूँ।

भवदीय

(टी.एल. मीना)

एम. एल. लाठर
आई.पी.एस.
अति. महानिदेशक पुलिस
सिविल राईट्स, राजस्थान

संदेश

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा यूनिसेफ राजस्थान के सहयोग से बाल संरक्षण विषय पर बच्चों से सम्बन्धित कानूनों एवं कार्यवाही आदि की जानकारी विभिन्न प्रशिक्षण, कार्यशालाएँ एवं गतिविधियों का आयोजन कर सेवारत पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। अकादमी द्वारा टोंक जिले को बाल संरक्षण के परिपेक्ष्य में बाल मित्रवत् जिला बनाने की अभिनव पहल की गई है, जो इस दिशा में उठाया गया बहुत ही सराहनीय कदम है। इसी क्रम में अन्य जिलों को भी मित्रवत् जिला बनाया जावे। जिसके फलस्वरूप जिलों में बाल संरक्षण के लिए बेहतर वातावरण एवं पुलिस की छवि में सुधार होगा। बाल संरक्षण के परिपेक्ष्य में अकादमी द्वारा किये गये कार्य बहुत ही सराहनीय हैं। इस हेतु मैं अकादमी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

भवदीय,

(एम.एल. लाठर)

प्रस्तावना

भारतीय संविधान में बच्चों की खुशहाली व सदैव सुरक्षित वातावरण से जीवनयापन करने हेतु विभिन्न उपबन्ध किये गये हैं। संविधान का अनुच्छेद 15 (3) अन्य बातों के साथ राज्य के बालकों के लिए विशेष उपबन्ध करने के लिए सशक्त करता है। अनुच्छेद 39 (ङ) (च) यह उपबन्ध करता है कि राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो और बालकों तथा अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से रक्षा की जाए और उनको स्वतन्त्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ्य विकास के अवसर और सुविधाएँ दी जाएँ। अनुच्छेद 45 और 47 राज्य को यह उत्तरदायित्व देता है कि बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक बाल्यावस्था देखरेख एवं उनके पोषाहार व जीवन स्तर की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जावे।

30 सितम्बर, 1990 को संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा द्वारा अंगीकृत बालकों के अधिकारों से सम्बन्धित मानदण्डों को 11 दिसम्बर, 1992 को, भारत ने भी समर्थन दिया था। सम्मेलन में सभी राष्ट्रों से विधि के उल्लंघन के किसी मामले में जिसमें बालक अभियुक्त है जिसके अन्तर्गत (क) बालक के साथ ऐसी रीति से व्यवहार करना जो बालक की प्रतिष्ठा और महत्व की भावना के विकास में सहयोगी हो (ख) बालक में मानवाधिकारों और अन्य व्यक्तियों की मूल स्वतन्त्रताओं के लिए आदर को सुदृढ़ करना (ग) बालक की आयु को ध्यान में रखते हुये और बालक का समाज के साथ पुनः एकीकरण को बढ़ाने एवं एक सकारात्मक भूमिका अदा करते हुए बालक के सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गयी थी।

इसके अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा बच्चों के सम्बन्ध में विभिन्न कानून बनाये जाते रहे हैं जिससे बच्चों की जीवितत्ता, विकास, संरक्षण व भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। बालश्रम (प्रतिषेध व विनियमन) अधिनियम 1986, प्रसव पूर्व व प्रसव पश्चात् लिंग परीक्षण तकनीकी अधिनियम 1994 ,बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 आदि कानून बालकों को संरक्षण प्रदान करते हैं।

इन सभी मजबूत कानूनों के पश्चात् भी सामाजिक–आर्थिक समस्याएँ बच्चों के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास को बाधित करते हैं। बच्चे के बचपन को सुरक्षित कर उसे विकास के पूर्ण अवसर प्रदान कर उसके भविष्य को सुरक्षित करना अति आवश्यक है। बाल संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु सभी की भागीदारी और अथक प्रयास आवश्यक हैं। समय–समय पर अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, समूह चर्चा, विचार विमर्शों का आयोजन किया जाता है, ताकि कानूनों और संधियों की जानकारी व समझ विकसित की जा सके और उनका बेहतर क्रियान्वयन व मजबूती प्रदान की जा सके।

अनुकृति उज्जैनियाँ

राज्य स्तरीय प्रशिक्षण–राजस्थान पुलिस अकादमी

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 21–22 अप्रेल, 2015 को पुलिस अधिकारियों के लिए एक राज्यस्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया जिसमें राज्य के संपूर्ण जिलों से 35 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र में प्रशिक्षण निदेशक श्रीमती अनुकृति उज्जैनियाँ, अति. पुलिस अधीक्षक ने अवगत कराया कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों को बच्चों से संबंधित विभिन्न कानूनों, बच्चों पर लागू राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संधियों की जानकारी देना, बच्चों से सम्बन्धित मुद्दों, कार्यवाहियों को बच्चों के सर्वोत्तम हित में कार्य कर सकने के लिए संवेदनशील बनाना है।

अकादमी के प्राचार्य व उपनिदेशक श्री ओमप्रकाश ने उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करते हुए कहा कि हमारे मानवाधिकार रंग–रूप, जाति, धर्म, भाषा, नस्ल या क्षेत्र आदि किसी प्रकार के भेदभाव के बिना हमारे लिए अधिकारों की व्यवस्था करते हैं जिसमें मानव रूप में हमारी गरिमा का सम्मान हो और हम सभी सही तरीके से अपना जीवनयापन कर सकें परन्तु आज हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे चौराहों पर भीख माँगते, गुब्बारे बेचते, होटल ढाबों पर कार्य करते हुए दिखते हैं एवं शिक्षा, पोषण व सुरक्षा से वंचित हैं। इन बच्चों को अपराधी तत्वों द्वारा इन कार्यों में धकेला गया है इसलिए हमारी यह जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करें। बच्चों को मुक्त करवाएँ एवं पुनर्वास की व्यवस्था करवायें।

श्री गोविंद बेनीवाल, बाल सुरक्षा विशेषज्ञ ने बालश्रम पर चर्चा करते हुए बाल मजदूरी का बच्चों पर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक दुष्प्रभाव पर प्रकाश डाला एवं बाल श्रम को रोकने हेतु राजस्थान के परिपेक्ष्य में बाल श्रम के कारणों गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि के बारे में संख्यात्मक जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान की कुल जनसंख्या का 48 प्रतिशत हिस्सा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। देश में बालश्रम में राज्य तीसरे स्थान पर है तथा बाल शोषण 60 प्रतिशत से अधिक है। बालश्रम प्रतिषेध व विनियमन अधिनियम 1986 में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को खतरनाक श्रम में डालना कानूनन प्रतिषेध है जिसके लिए सजा का प्रावधान है जबकि कुछ ऐसे सुरक्षित कार्य हैं जहाँ पर कार्य की दशाओं, उनकी मजदूरी, श्रम के घन्टों को निर्धारित किया गया है। परन्तु उनकी पालना नहीं हो रही है। बहुत सारे बच्चे आज भी अमानवीय स्थितियों में जीवन जी रहे हैं व बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। उन्होंने बालश्रम को रोकने हेतु विभिन्न विभागों पुलिस, श्रम, बाल अधिकारिता, बाल कल्याण समिति के दायित्वों हेतु एसओपी के बारे में विस्तृत चर्चा की ।

श्रीमती नीतू प्रसाद बाल सुरक्षा विशेषज्ञ ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में 20 नवम्बर, 1989 को बालकों के अधिकारों से संबंधित अधिघोषणा एवं भारत सरकार द्वारा 11 दिसम्बर, 1992 को दी गई सहमति के बारे में अवगत कराया। इस घोषणा पत्र के बालकों के उत्तरजीविता, सुरक्षा, विकास एवं सहभागिता के अधिकारों को विस्तार से बताया व उन्होंने बच्चों को सुरक्षा एवं विकास के अवसर दिये जाने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार घोषणापत्र में 18 वर्ष से कम आयु को बच्चों के रूप में परिभाषित किया है एवं सभी बच्चों को ऐसा जीवन स्तर पाने का अधिकार है, जिससे उनका उपयुक्त शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक एवं सामाजिक विकास हो सके। इस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए सरकार का यह दायित्व है कि वह बच्चे या उसके माता–पिता को उपयुक्त सहायता प्रदान करें। उन्होंने बाल संरक्षण की दिशा में सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों एवं विभिन्न संस्थाओं की भूमिका के बारे में चर्चा की।

बाल सुरक्षा विशेषज्ञ श्री धर्मवीर यादव ने बाल सुरक्षा में पुलिस की भूमिका के बारे में प्रकाश डालते हुए बताया कि पुलिस को बच्चों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए और कौनसी कार्यवाही नहीं करनी चाहिए।

संस्था के निदेशक श्री बी. एल. सोनी ने बालकों से सम्बधित पुलिस कार्यवाहियों में पुलिस द्वारा साक्ष्यों का एकत्रण, पीड़ित के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, घटना स्थल का गहनता से निरीक्षण एवं समय पर चालान पेश करने पर जोर दिया और बच्चों के प्रकरणों में प्लान ऑफ एक्शन बनाकर कार्यवाही करने की बात कही।

प्रशिक्षण के दौरान पुलिस अधिकारियों को सुरमन संस्थान का भ्रमण करवाया गया। सुरमन संस्थान में अनाथ, त्याग किये हुए बच्चे रह रहे हैं। जिनका आयुवर्ग जन्म से लेकर 18 वर्ष तक है। सुरमन संस्थान की निदेशक श्रीमती मनन चतुर्वेदी ने बताया कि हमारी वैचारिक अवधारण "मानवता ही मानवता का धर्म है" पर आधारित है। हम बच्चों को उनका गरिमापूर्ण, सुरक्षित एवं विकास पूर्ण जीवन जीने के अवसर देने के प्रति कृत संकल्प हैं।

सुरमन संस्थान के अवलोकन के दौरान पुलिस अधिकारी अत्यन्त भावुक हुए जब उन्होंने उपेक्षित एवं त्याज्य मासूम बच्चों को खुशी से किलकारियाँ मारते देखा। पूरे आवास गृह में छोटे–बड़े बच्चे गुणवत्तापूर्ण स्तर की सुविधा में जीते हैं, बड़े बच्चे, छोटे बच्चों की देखरेख एवं मनोरंजन करते हैं। यहाँ बच्चों की सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। इन भ्रमण से अकादमी पुलिस अधिकारियों में बच्चों के प्रति संवेदनओं का संचार करने के उद्देश्य में सफल रही। अन्त में सभी प्रतिभागियों का समूह फोटो लिया गया।

राज्य स्तरीय प्रशिक्षण – राजस्थान पुलिस अकादमी

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 11–12 अगस्त, 2015 को एक राज्यस्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें राज्य के संपूर्ण जिलों से 26 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करते हुए संस्था के निदेशक श्री बी.एल.सोनी ने कहा कि वर्तमान समय में किशोर न्याय का विषय बहुत व्यापक व संवेदनशील है, इसमें बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों एवं बच्चों के लिप्त हो सकने वाले अपराधों की किस्म, पुलिस, न्यायालय, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं तथा आमजन द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया व बालकों के साथ किए जाने वाले व्यवहार के तरीके शामिल हैं। बचपन में उपेक्षा व हिंसक माहौल में रहने तथा अपराध के बीच बहुत गहरा सम्बन्ध है। घर में हिंसा के माहौल, उपेक्षा व मार्गदर्शन के अभाव में रहने पर बच्चे खुद हिंसक आचरण एवं परिवार से अलगाववादी मानसिकता अपनाकर अवांछनीय गतिविधियाँ में शामिल हो जाते हैं। इसलिए पुलिस अधिकारियों को बालकों से सम्बन्धित अनुसंधान करते समय उनकी सामाजिक घटना रिर्पोट को भी पत्रावली में शामिल करते समय बालक की पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति को बोर्ड की जानकारी में लाना चाहिए।

धर्मवीर यादव स्टेट कन्सलटेन्ट यूनिसेफ ने कहा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 बाल विवाह की रोकथाम, सुरक्षा एवं सजा का प्रावधान करता है। वयस्क व्यक्ति द्वारा किसी नाबालिग बालिका के साथ विवाह करने पर, बाल विवाह का अनुष्ठान करने पर एवं बाल विवाह के अनुष्ठान में शामिल होने, अभिप्रेरित करने के लिए कोई कार्य करने पर अधिनियम में सजा का प्रावधान है और ये सारे अपराध संज्ञेय व गैर जमानतीय हैं। इस अधिनियम में बाल विवाह के शून्यकरण की प्रक्रिया के बारे में भी अवगत करवाया है।

श्री ओमप्रकाश उप अधीक्षक पुलिस जयपुर रेन्ज ने बाल तस्करी को परिभाषित करते हुए बाल तस्करी के शिकार बच्चों एवं बाल तस्करी में लिप्त माता–पिता, संगठित गिरोह, दलाल, पर्यटक एजेन्ट, समाज सेवकों के रूप में छुपे हुए तस्करों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाल तस्करी, मुख्यतया यौन शोषण, भीख मंगवाने, शारीरिक अंगों के व्यापार, नशीले पदार्थों, हथियार, गोला–बारूद, बन्धुआ मजदूर, घरेलू नौकर, कृषि कार्यों, बार डांसर, केमल रेसिंग, वैश्यावृति, जबरन विवाह करने हेतु की जाती है। यह अन्तर्राष्ट्रीय व अन्तर्देशीय स्तर पर मौजूद है। बाल तस्करी को रोकने के लिए भारतीय दण्ड संहिता सहित विभिन्न कानून बने हैं बाल तस्करी को रोकने में पुलिस बल, बाल कल्याण समिति, स्वयंसेवी संगठनों की अहम् भूमिका है। राजस्थान पुलिस में "आपरेशन स्माइल" के तहत प्रभावी कार्यवाही हुयी है।

प्रशिक्षण में श्रीमती अनुकृति उज्जैनियाँ, अति. पुलिस अधीक्षक, ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पर चर्चा की। सत्र को सम्बोधित करते हुए इस अधिनियम की विशेषताओं पर बताया कि लैगिंक हमला, लैगिंक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण एवं विचारण हेतु यह अधिनियम बनाया गया है। अधिनियम 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों के लिए लागू किया गया है, इसमें लड़का व लड़की पीड़ित व आरोपी दोनों हो सकते हैं। इस अधिनियम में अपराध की गम्भीरता के अनुसार सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें प्रवेशन लैगिंक हमले, लैगिंक हमले, लैंगिक उत्पीड़न और दुष्प्रेरण की विस्तृत व्याख्या की गयी। इस अधिनियम की प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में अपराधों की रिर्पोटिंग करने, अभिलिखित रहने पर विफल रहने में दण्ड, मीडिया के लिए प्रक्रिया से अवगत कराया। बालकों के बयानों को लेखबद्ध करने, चिकित्सीय परीक्षा, आयु निर्धारण एवं अपराध की उपधारणा की विस्तृत व्याख्या की।

श्री डी.पी.सैनी रिटायर्ड, ए.डी.पी. ने पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस अधिनियम के अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाप्रदाता को संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाया जाना आवश्यक है एवं प्रसव पूर्व व पश्चात् लिंग की जाँच कानूनन अपराध है। किसी भी महिला पर रिश्तेदार या पति द्वारा लिंग परीक्षण के लिए उकसाने व दबाव डालने पर सजा का प्रावधान है, इसके अतिरिक्त चिकित्सक द्वारा संस्था का पंजीकरण ना कराना, भ्रूण के लिंग की जानकारी देना, लिंग का पता लगाना, लिंग परीक्षण सम्बन्धी विज्ञापन व रिकार्ड न रखना भी दण्डनीय है। इसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी के दायित्वों का भी उल्लेख है। वर्तमान स्थिति में कन्या भ्रूण हत्या का प्रमुख कारण कानून की कमजोर अनुपालना व राजनीतिक व सामाजिक उदासीनता है। हम सब का कर्त्तव्य है कि समाज में लिंग जाँच के विरुद्ध समुचित प्रचार–प्रसार करें।

राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा "बाल सरंक्षण" विषय पर आयोजित विभिन्न प्रशिक्षणों के दौरान स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं को भ्रमण कराया जाता रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य पुलिस अधिकारियों को यह विश्वास दिलाना है कि गैर सरकारी संस्थाओं में भी बच्चों के लिए बहुत अच्छी पुनर्वास सुविधाऐं उपलब्ध हैं। ऐसा इसलिए भी जरूरी है कि प्रशिक्षण के दौरान पुलिस अधिकारी यह बात रखते हैं कि बच्चों के लिए संवेदनशील होकर उनके लिए बचाव कार्यवाहियाँ करना पुलिस का कार्य है परन्तु बच्चे पुनः अपनी पूर्व स्थितियों में आ जाते हैं। पुलिस अधिकारियों को

स्थानीय संस्था "आई इण्डिया" जो चाईल्ड लाईन सेवा भी चलाती है का भ्रमण कराया गया। आई इण्डिया बाल संरक्षण के लिए कार्यरत संस्थाओं में अग्रण्य है जिनके जयपुर में बालक–बालिकाओं के लिए 5 आवास गृह चलते हैं। विगत 20 वर्षों से कार्यरत संस्था के निदेशक प्रभाकर गोस्वामी एवं उनके वरिष्ठ सहयोगी उमेश शर्मा मुख्य कार्यक्रम प्रबन्धक ने इन भ्रमणों को उपयोगी बनाने में मदद की। संस्था के निदेशक प्रभाकर गोस्वामी ने बताया कि आई इण्डिया में 250 से अधिक बच्चों के नियमित रूप से आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यावसायिक शिक्षा एवं परिवार में पुनर्मिलन की सेवाऐं प्रदान की जा रही हैं। चाईल्ड लाईन से ऐसे वंचित एवं पीड़ित बच्चों तक पहुँचाने में काफी आसानी रहती है। संस्था का भ्रमण के दौरान पुलिस अधिकारियों ने ऐसे कार्यों के लिए संस्था की प्रशंसा की। पुलिस अधिकारियों को बच्चों से उनकी जीवन स्थितियों पर सीधे बातचीत करना अच्छा अनुभव रहा है। अन्त में सभी प्रतिभागियों का समूह फोटो लिया गया।

राज्य स्तरीय प्रशिक्षण – राजस्थान पुलिस अकादमी

राजस्थान पुलिस अकादमी में बाल संरक्षण एवं कानून विषय पर राज्यस्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण दिनांक 14–15 अक्टूबर 2016 को यूनिसेफ राजस्थान के सहयोग से आयोजित किया गया।

प्रथम सत्र को मे नीतू प्रसाद बाल सुरक्षा विशेषज्ञ ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा पारित बालकों के अधिकारों से संबंधित अधिघोषणा एवं भारत सरकार द्वारा सहमत उत्तरजीविता, सुरक्षा, विकास एवं सहभागिता के अधिकारों पर अपनी बात रखी।

दूसरे सत्र में मानव तस्करी के विभिन्न मुददों पर श्री ओम प्रकाश पुलिस उप अधीक्षक ने अपना व्याख्यान दिया। उन्होने कहा कि बाल तस्करी ,यौन शोषण, बाल श्रम, बंधुआ मजदूर, घरेलू नौकर, दत्तक ग्रहण, विवाह,मनोरंजन आदि गैर –कानूनी गतिविधियों हेतु इनकी ट्रेफिकिंग की जाती है। राजस्थान में कुछ जातियाँ रूढियों से वैश्यावृति के पेशे से जुड़ी हुईं हैं। लडकियों को छोटी उम्र में अपहरण कर, खरीद फरोख्त कर या तस्करी के द्वारा अन्य स्थानों से लाकर पाल–पोश कर बडी की जाती है इन जातियों के धोलपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, अजमेर, टोंक, अलवर, जयपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड आदि जिलों में बडे–बडे गॉव हैं जहॉ यह कार्य व्यावसायिक तौर जबरन कराया जाता है। आदिवासी बहुल जिलों के बहुत सारे बच्चे काम के लिए राजस्थान सीमा से सटे गुजरात के विभिन्न जिलों में कपास के खेतों में काम करते हुए विभिन्न तरह से शारीरिक, यौन व भावनात्मक शोषण और हिंसा के शिकार होते है।

अनुकृति उज्जैनिया, अति. पुलिस अधीक्षक ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के अन्तर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई में कार्यरत पुलिस उप अधीक्षक की भूमिकाओं पर चर्चा कर इनमें नियमित पर्यवेक्षण एवं इसकी कार्यप्रक्रियाओं को विस्तार से समझाया। इस इकाई मे जिले के सभी बाल कल्याण पुलिस अधिकारी आते है विशेष किशोर पुलिस इकाई जिसका कार्य स्वैछिक एवं गैर सरकारी संस्थाओं के साथ समन्वय कर विधि से संघर्षरत एवं देखभाल एवं संरक्षण के आवश्यकता वाले बालकों को पुनर्वास करना, इस अधिनियम के तहत सरकार द्वारा निर्धारित कार्यों के सम्पादन एवं अधिनियम की पालना के लिए विभिन्न कार्य करना है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 पर डा. चेतना अरोड़ा एडीजे ने चर्चा कर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों एवं इनमें विशेष अपराधों के निर्धारण प्रक्रियाओं को विस्तार से समझाया। नए कानून के बारे मे विभिन्न धाराओं व नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। अधिनियम में बच्चों के विरूद्ध अन्य अपराध करने पर सजा, अपराध के दुष्प्रेरण के प्रावधानों, अपराधों का वर्गीकरण एवं अभिहित न्यायालयों एवं वैकल्पिक दण्ड के प्रावधानों पर जानकारियां दी।

प्रशिक्षण के दूसरे दिन श्री महेन्द्र कुमार दवे सी.जे.एम. ने लैंगिक अपराधों से बालकों की सुरक्षा कानून 2012 पर सम्बोधित करते हुए पुलिस अधिकारियों की भूमिकाओं पर विस्तृत चर्चा की। श्री दवे ने किशोर न्याय व्यवस्था के विभिन्न मुद्दों बोर्ड के अधिकार, जघन्य अपराधों एवं सामान्य अपराधों का निर्धारण एवं इनकी जांच के लिए समय एवं जमानत सम्बन्धी प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होने बालकों के पुलिस के सम्पर्क में आने पर पुलिस द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया। श्री धीरज वर्मा ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं बालश्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा की।

प्रशिक्षण का अन्तिम सत्र गर्भाधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 पर था जिसको श्री डी. पी. सैनी एडीपी (से.नि.) ने सम्बोधित किया। उन्होने कहा कि भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंग अनुपात को रोकने के लिए यह कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत जन्म से पूर्व शिशु के लिंग की जांच पर प्रतिबन्ध है। अल्ट्रासाउन्ड या अल्ट्रासोनोग्राफी करने वाले डाक्टर, लैबकर्मी को तीन से पांच साल की सजा एवं 10 हजार से 50 हजार तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। इस अधिनियम की धारा 22 के अनुसार कोई भी व्यक्ति या संगठन लिंग निर्धारण के प्रयोजन से प्रसव पूर्व निदान तकनीक का उपयोग गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण के लिए नहीं कर सकेगा एवं इसके लिए किसी भी प्रकार का विज्ञापन जारी करना, प्रकाशित, वितरित या संसूचित नहीं करेगा। ऐसा किये जाने पर तीन वर्ष का कारावास एवं दस हजार से दण्डित होगा।

समापन सत्र के मुख्य अतिथि श्री एस. संगथिर, पुलिस महानिरीक्षक, सीआईडी (क्राइम ब्रांच) ने कहा कि प्रशिक्षण प्रत्येक कार्य के लिए महत्वपूर्ण है, पुलिस में इसका महत्व अपेक्षाकृत अधिक है। उन्होने कहा कि यह राज्यस्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण बाल संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। पुलिस अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का बेहतर प्रशिक्षण कर पायेंगे।

बालकों के साथ होने वाली हिंसा पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह बहुत ही अमानवीय है, हमें बालकों पर हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्ती से निबटना होगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमे अनुसंधान मे साक्ष्य जुटाने, गवाहों की मौजूदगी एवं अन्य विधिक कार्यवाहियों को गुणवतापूर्ण तरीकों से करना होगा। साक्ष्यों में जितनी अधिक मौलिकता होगी उतना ही प्रकरण अधिक मजबूत होगा जिससे हमें अपराधियों को सजा दिलाने में सफलता मिल सकेगी। उन्होने अन्त में बच्चों के प्रति संवेदनशील व्यवहारों को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इनके साथ हम वयस्क अपराधियों के समान व्यवहार नहीं कर सकते। हमारे द्वारा किया गया असंवेदनशील व्यवहार इनके सामाजिकीकरण में बाधा पहुंचा सकता है। श्रीमान् द्वारा सर्टिफिकेट का वितरण किया गया।

रेंज स्तरीय प्रशिक्षण

(उदयपुर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर)

उदयपुर

भरतपुर

जयपुर

जोधपुर

रेन्ज स्तरीय प्रशिक्षण – उदयपुर रेन्ज

राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा बाल संरक्षण विषय पर दिनांक 11 से 12 सितम्बर, 2015 को पुलिस लाईन उदयपुर में प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में पुलिस अधिकारियों, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, सी.एल.जी. सदस्यों, स्वयंसेवी संस्थाओं व अन्य एजेंसियों के लगभग–67 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम की निदेशक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती अनुकृति उज्जैनियाँ ने सर्वप्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम के सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए प्रशिक्षण के उद्देश्यों से अवगत कराया। प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि जिला पुलिस अधीक्षक श्री राजेन्द्र गोयल ने सभी प्रतिभागियों से प्रशिक्षण के दौरान दी जाने वाली जानकारियों को अमल में लाकर बच्चों के हित में और संवेदनशील होकर कार्य करने पर जोर दिया व राजस्थान पुलिस अकादमी को प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए धन्यवाद दिया ।

प्रशिक्षण के प्रथम सत्र में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पर श्री एम.के.दवे अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश, नाथद्वारा ने विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय दण्ड संहिता में यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के लिए पृथक से कोई कानून नहीं था। इसलिए इस कानून की आवश्यकता हुई। उन्होंने अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 के प्रकरणों के सन्दर्भ में कहा कि यौन प्रयोजनों के लिए दबिश के दौरान पुलिस द्वारा गिरफ्त में ली गई लड़कियों को कानून के अनुसार गवाह बनाया जाकर होटल मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए एवं महिलाओं के पुनर्वास व समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना चाहिए।

प्रशिक्षण के प्रथम सत्र में श्रीमती सिंधू बिनूजित, परामर्शद् (बाल सुरक्षा) डूँगरपुर ने वर्तमान परिदृश्य पर चर्चा करते हुए कहा कि आजादी के बाद हमने आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे आज भी अमानवीय स्थितियों में जीवन जी रहे हैं। वे बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं एवं स्कूल जाने के बजाय बाल मजदूरी एवं बंधक श्रम में लगे हैं और अपने अधिकारों से वंचित हैं।

श्री पतांजली भू संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त, उदयपुर द्वारा बाल श्रम प्रतिषेध व नियमन अधिनियम 1986 के बारे में जानकारी दी गई । उन्होंने बताया कि बाल श्रम एक प्रकार से मानवाधिकारों का उल्लंघन है। यह बच्चों के मानसिक, शारीरिक, आत्मिक एवं सामाजिक हितों को प्रभावित करता है। 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को ऐसे कार्य या कारखाने इत्यादि में न रखा जाये जो खतरनाक हों। उन्होंने बाल श्रम कानून से संबधित विभिन्न धाराओं के बारे में जानकारी दी एवं बाल श्रम के बारे में पुलिस एवम् अन्य संस्थाओं के द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में अवगत कराया।

राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने सत्र को सम्बोधित करते हुए कहा कि बच्चे बहुत संवेदनशील होते हैं इन्हें सुरक्षा एवं विकास के अवसर देना चाहिए ताकि उनका बेहतर विकास हो सके। हमें बच्चों एवं महिलाओं को पूर्ण सुरक्षा देने के लिए समाज के सभी लोगों का सहयोग लेना होगा। इसमें सामुदायिक सम्पर्क समूह के सदस्यों एवं स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाएँ महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभा सकती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि बच्चों एवं महिलाओं से सबंधित प्रकरणों में पुलिस को तुरंत कार्यवाही करनी चाहिये।

उदयपुर रेंज महानिरीक्षक पुलिस श्री आनंद श्रीवास्तव ने प्रशिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए सभी प्रतिभागियों से कहा कि प्रशिक्षण से हमें कानून एवं अनुसंधान की प्रक्रियाओं के बारे में दक्षता प्राप्त होती है। बालकों के विरूद्ध जिस प्रकार के अपराध समाज में हो रहें है उनके निस्तारण में सभी संगठनों की अहम भूमिका है। यदि हम सब मिलकर बच्चों के हित में कार्य करेंगे तो निश्चित ही परिणाम अच्छे आयेंगे। उन्होंने प्रशिक्षण की महत्ता पर भी प्रकाश डाला।

उदयपुर में कार्यरत श्री सी.पी. सिंह, ए.सी.जे.एम. व अध्यक्ष, किशोर न्याय बोर्ड ने किशोर न्याय देखरेख व संरक्षण अधिनियम 2000 के बारे में चर्चा करते हुए कहा की वर्तमान में जो अपराध न्याय व्यवस्था लागू है, वह बच्चों (आयु 0–18 वर्ष) पर लागू नहीं होती है, इसलिए किशोर न्याय अधिनियम के तहत पृथक से किशोर न्याय व्यवस्था लागू की गई है, अधिनियम में सभी उपबंध बाल संरक्षण एवं विधि से संघर्षरत किशोर के अधिकार सुनिश्चित करने तथा बच्चों के मामलों में बाल मैत्रीपूर्ण व्यवहार एवं बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए क्रियान्वित किये जाने के उद्देश्य से किये गये हैं। उन्होंने अधिनियम के 2006 एवं 2011 के संशोधनों के बारे में भी विस्तृत व्याख्या की एवं किशोर न्याय बोर्ड द्वारा की जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में अवगत कराया।

प्रशिक्षण सत्र में बाल संरक्षण पर कार्य करने वाली एजेंसियों की समस्याओं एवं समाधान पर पुलिस अधिकारी, जे.जे. बोर्ड, बाल कल्याण समिति, सीएलजी स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा तीन समूह बनाकर उनके द्वारा प्रजेंटेशन दिया गया। जिसमें सभी एजेन्सियों ने आपस में समन्वय, भागीरदारी बालकों के हित में मिलकर कार्य करने पर जोर दिया एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।

प्रशिक्षण के समापन सत्र के अतिथि श्री रोहित गुप्ता जिला कलेक्टर ने जिले में बच्चों की स्थितियों पर प्रकाश डालते हुए बाल विवाह, बाल श्रम एवं बाल तस्करी को चुनौतीपूर्ण बताया। उन्होंने जिले में बाल संरक्षण के लिए बहुस्तरीय प्रयास किये जाने की महत्वपूर्ण जरूरत बताई एवं सरकार की विभिन्न योजनाओं व स्कीम का लाभ बच्चों व असहाय वर्ग को मिले इस हेतु आमजन तक पहुँच एवं जनजागरूकता फैलाने में सबकी भूमिकाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार के दुष्प्रेरणों से बच्चों को बचाने के लिए आवश्यक है कि बालकों को अधिकाधिक संख्या में शिक्षा से जोड़ा जावे, इसमें ग्राम पंचायत एवं ग्राम समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है। उन्होंने बालकों दे प्रकरणों में साथ मिलकर कार्य करने पर जोर दिया।

रेन्ज स्तरीय प्रशिक्षण – भरतपुर रेन्ज

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के द्वारा भरतपुर रेन्ज के पुलिस अधिकारियों, किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी), बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी), सामुदायिक सम्पर्क समूह (सीएलजी) के सदस्यों, एवं स्थानीय स्वंयसेवी संस्थाओं (एन.जी.ओ.) के प्रतिनिधियों के लिए एक संयुक्त प्रशिक्षण 16–17 अक्टूबर, 2015 को बाल सुरक्षा पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में भरतपुर संभाग की विभिन्न संस्थाओं के लगभग 85 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि महानिरीक्षक पुलिस श्री बीजू जार्ज जोसफ ने सत्र को सम्बोधित करते हुए बताया कि राजस्थान में विगत कुछ वर्षों में बालकों के विरुद्ध अपराधों एवं विधि से संघर्षरत बच्चों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। इनके लिए विधिक कार्यवाहियों एवं पुनर्वास एवं इनके अधिकारों का संरक्षण हमारे लिए चुनौती है और यह तभी संभव है जब बाल संरक्षण पर कार्य करने वाली सभी संस्थाएँ एकजुट होकर बच्चों के हित में कार्य करेंगी।

श्री महावीर महावर, ए.सी.जे.एम व अध्यक्ष किशोर न्याय बोर्ड भरतपुर ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 एवं संशोधन 2006 एक्ट के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि यह कानून बच्चों के मामलों में कल्याणकारी एवं बदलाव के आशय रखता है। अधिनियम की मंशा है कि बच्चों के साथ सामान्य अपराधियों की तरह व्यवहार नहीं किया जावे। अधिनियम के तहत ऐसे बच्चों के साथ सुधारात्मक कार्यवाहियाँ एवं व्यवहार करते हुए उनको पुनः समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कानून की विभिन्न धाराओं, किशोर न्याय बोर्ड की कार्यप्रणाली व पुलिस की भूमिका के बारे में जानकारी दी गई।

श्री केशर सिंह अति. पुलिस अधीक्षक, भरतपुर ने व्यवहारिक पुलिस कार्यप्रणाली एवं बालकों से सम्बन्धित प्रकरणों में पुलिस की भूमिका पर चर्चा करते हुए बताया की बच्चों के प्रकरणों को सामान्य प्रकरणों की तरह नहीं लिया जाकर अनुसंधान में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पुलिस को

बच्चों के साथ विनम्रता, सहजता एवं सद्व्यवहार के साथ पेश आना चाहिए। उन्होंने भरतपुर पुलिस द्वारा आपरेशन स्माइल में की गई कार्यवाहियों से अवगत कराया एवं बालकों से सम्बन्धित कुछ प्रकरणों की केस स्टडी को विस्तार से बताया।

प्रशिक्षण में श्रीमती अनुकृति उज्जैनियाँ, अति. पुलिस अधीक्षक ने महिला एवं बाल डेस्क पर पर चर्चा की। महिला एवं बाल डेस्क के कार्य एवं संचालन में सुधार एवं गतिशीलता लाने के लिए कार्य बिन्दु एवं डेस्क अधिकारी की भूमिकाओं के बारे में प्रतिभागियों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि डेस्क की प्रभावशीलता के लिए डेस्क पर थानाधिकारी एवं वृत्ताधिकारीगण के पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता है।

श्री पंकज तिवारी यूनीसेफ (स्टेट कंसलटेंट) राजस्थान ने बाल श्रम कानून के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि हमारे देश में बाल मजदूरी पर अनेक कानूनी प्रतिबन्ध लगे हैं। बाल श्रम (प्रतिबन्ध एवं नियमन) अधिनियम, 1986 एक ऐसा अधिनियम है जो विशेष तरह के कारोबार (खतरनाक) में बच्चों की संलिप्तता पर प्रतिबन्ध लगाता है व बच्चों के कार्यस्थल पर बेहतर परिस्थितियों का नियमन भी करता है। इस अधिनियम से बाल मजदूरों की काम करने की स्थितियों को सुधारने का प्रयास किया गया है। बच्चे शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा, खेलने आदि की सुविधा से अभी भी वंचित हैं इसलिए समाज में अधिनियमों के बारे में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है।

प्रशिक्षण के समापन सत्र में श्री रवि जैन, जिला कलेक्टर भरतपुर ने जिले में बच्चों की स्थितियों पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि बालकों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम में आप सभी की महत्वपूर्ण भूमिका है उन्होंने भरतपुर के गृह में बालिकाओं के साथ यौन दुष्कर्म की घटना पर प्रकाश डालते ऐसी घटनाओं के रोकने पर जोर दिया और बालकों के सर्वांगीण विकास में एजेन्सियों की भूमिका पर प्रकाश डाला।

रेन्ज स्तरीय प्रशिक्षण – जयपुर रेन्ज

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के द्वारा यूनीसेफ राजस्थान के सहयोग से बाल सुरक्षा कानून पर जयपुर संभाग के पुलिस अधिकारियों, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, सामुदायिक सम्पर्क समूह के सदस्यों, एवं स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं के लगभग 68 प्रतिनिधियों के लिए एक संयुक्त प्रशिक्षण 04–05 फरवरी, 2016 को राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि श्री डी.सी.जैन., अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एवं अकादमी के निदेशक श्री बी.एल.सोनी ने बाल संरक्षण पर आयोजित प्रशिक्षण की उपयोगिता पर अपने विचार व्यक्त किए।

अकादमी निदेशक श्री बी.एल. सोनी ने सभी प्रतिभागियों से प्रशिक्षण के उद्देश्यों के बारे में चर्चा करते हुए बताया की बच्चों एवं महिलाओं से संबधित मामलों को संवेदनशीलता से लेकर उनकी हरसंभव मदद करें व विश्वास पैदा करें कि वो बेखोफ होकर आपसे अपनी समस्या बता सकें। हम देखते हैं कि आज बच्चे सबसे ज्यादा असुरक्षित एवं असक्षम हैं वहाँ पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, उन्होंने बच्चों को एक अपराधी की तरह से नहीं अपितु एक पीड़ित की तरह देखने की जरूरत बताई एवं बच्चों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखते हुए उनके प्रकरणों को सद्भावनापूर्वक निपटाने पर जोर दिया।

जयुपर रेंज महानिरीक्षक श्री डी.सी.जैन ने अपने उद्बोधन में कहा कि बच्चे एवं पुलिस समाज के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं जहाँ बच्चों को सुरक्षा, संरक्षण एवं प्यार की जरूरत है वहीं पुलिस समाज में सुरक्षा एवं संरक्षण स्थापित करने के उद्देश्य से बनी एक महत्वपूर्ण इकाई है। समाज में किसी भी कारण से भय एवं असुरक्षित महसूस करने वाले व्यक्ति का प्रथम सम्पर्क पुलिस है। इसलिए पुलिस का कर्त्तव्य है कि वह हर पीड़ित को तसल्लीपूर्वक सुनकर कानून सम्मत कार्यवाही करे। जिससे कि समाज के कमजोर वर्गों विशेष रूप से बालकों व महिलाओं में पुलिस का विश्वास बना रह सकें।

श्री रमाकांत सतपथी, स्टेट प्रोग्राम अधिकारी सेव द चिल्ड्रन ने बाल अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया व वर्तमान परिदृश्य पर चर्चा करते हुए कहा कि

भारत ने अन्य देशों की भांति बच्चों को एक सुखद, स्वस्थ एवं सुरक्षित भविष्य का अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि पर 11 दिसम्बर, 1992 को हस्ताक्षर कर बच्चों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। इसलिए हमारा दायित्व है कि हम बालकों के संरक्षण में अपना योगदान दें।

श्री धनराज शर्मा अति. श्रम आयुक्त, जयपुर ने चर्चा करते हुए बताया की आज के समय में बच्चों की सुरक्षा को लेकर विभिन्न खतरे समाज में व्याप्त हैं ऐसे में बाल संरक्षण पर एक मजबूत रणनीति बना कर कार्य करने की जरूरत है। पुलिस अपने थाना क्षेत्र में बाल श्रमिकों की पहचान कर बाल श्रम कराने के संभावित स्थानों चाय की दुकान, फैक्ट्री क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र की पहचान कर समय–समय पर कार्यवाही कर सकती है। इसमें श्रम विभाग, चाईल्ड लाईन,एन.जी.ओ. एवं बाल कल्याण समिति के समन्वय से बेहतर परिणाम आ सकते हैं। संभावित क्षेत्र में बाल श्रमिक मिलने पर बाल कल्याण अधिकारी बच्चे को बाल श्रम से मुक्त करायें। बाल श्रमिकों का नियोजन करने वालों के खिलाफ पुलिस नियमानुसार कार्यवाही करे एवम् बाल कल्याण अधिकारी द्वारा बाल श्रमिक को तुरन्त बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करें व उनके आदेश से अग्रिम कार्यवाही करें।

डॉ. चेतना अरोड़ा, सचिव राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा नये जे.जे. एक्ट 2015 के बारे जानकारी दी। उन्होंने नये और पुराने अधिनियम का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया और विभिन्न नई धाराओं के बारे में विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम बच्चों के लिए कल्याणकारी एवम् बच्चों को सुरक्षा देने वाला है। इसमें स्पष्ट रूप से अपराधों का वर्गीकरण किया गया है एवं 16–18 आयु वर्ग के बालकों द्वारा किये जाने वाले जघन्य अपराधों के लिए पृथक से प्रावधान किये गये हैं।

अन्तिम सत्र में मुख्य अतिथि श्रीमती मनन चतुर्वेदी अध्यक्ष राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी एजेन्सियों के बेहतर समन्वय के लिए प्रशिक्षण की सराहना की एवं कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण प्रत्येक जिला स्तर पर होने चाहिए, जिससे बाल सुरक्षा से जुड़ी समस्त एजेन्सियाँ साथ मिलकर बच्चों के सर्वोत्तम हित में कार्य कर सकें। उन्होंने पुलिस कार्यप्रणाली एवं गृहों में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया एवं गैर सरकारी संगठनों की बालकों की देखरेख एवं भूमिका पर प्रकाश डाला।

रेन्ज स्तरीय प्रशिक्षण- जोधपुर रेन्ज

राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर के द्वारा जोधपुर संभाग में बच्चों की सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारियों, जेजेबी, सीडब्ल्यूसी, सीएलजी, के सदस्यों एवं स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों का संभाग स्तरीय प्रशिक्षण 29 से 30 मार्च, 2016 को पुलिस लाईन में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में संभाग के जैसलमेर, सिरोही, पाली, जालौर, बाड़मेर एवम् जोधपुर ग्रामीण के 85 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

इस अवसर पर सत्र को प्रारम्भ करते हुए श्री विनीत कुमार, उपायुक्त जोधपुर (पूर्व) ने कहा कि भारत सरकार ने बच्चों की सुरक्षा के लिए विभिन्न कानून बनाये हैं। बाल सुरक्षा से जुड़ी संस्थाओं द्वारा इन कानूनों की अक्षरतः पालना सुनिश्चित कर त्वरित कार्यवाही करने पर अच्छे परिणाम आ सकते हैं। बालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पूरी संवेदनशीलता व प्राथमिकता से कार्य करना चाहिए। विशिष्ठ अतिथि अति. पुलिस अधीक्षक श्री महेन्द्र हिंगोनिया ने भी बच्चों की सुरक्षा के लिए समाज के बाकी लोगों को भी आगे आने की बात कही।

कृति भारती (सारथी ट्रस्ट) ने बालकों के अधिकारों से संबंधित अधिघोषणा एवं बालकों के अधिकारों के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि यह अधिकार प्रत्येक बच्चे के लिए बिना जाति, धर्म, भाषा, लिंग एवं नस्ल के भेदभाव के प्राप्त है, उन्होंने बाल विवाह से बच्चों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में बात करते हुए बाल विवाह को रोकने में उनके द्वारा की गई पहल, आने वाली समस्याओं एवं समाधान के बारे में विस्तृत चर्चा की। प्रशिक्षण सत्र में समूह वार्ता कर सभी प्रतिभागियों के तीन समूह बनाकर उनके द्वारा प्रजेंटेशन दिया गया।

प्रशिक्षण सत्र में अनुकृति उज्जैनिया अति. पुलिस अधीक्षक ने विशेष किशोर पुलिस ईकाई की संरचना एवं बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के कर्तव्यों एवं भूमिका पर प्रकाश डालते हुए बालकों की प्राथमिकी, आपात चिकित्सा, 164 द.प्र.सं. के बयान, आयु का निर्धारण, चिकित्सा रिपोर्ट, बालक की निरूद्धगी, बोर्ड के समक्ष पेश कराने के तरीकों, प्रभावी अनुसंधान, साक्ष्यों के एकत्रण एवं जॉच रिपोर्ट व चालान के साथ पेश किये जाने वाले दस्तावेजों के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की।

श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक ने बच्चों की सुरक्षा विशेषतः बाल विवाह, बाल तस्करी एवं बालश्रम को रोकने के लिए वर्तमान वैधानिक प्रावधानों एवं उनके लिए समुदाय आधारित भूमिकाओं पर महत्वपूर्ण चर्चाएँ कीं एवं एक लघु फिल्म "एक था बचपन" पर विभिन्न संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर उपजे प्रश्नों के सम्बन्ध में समूह वार्तालाप एवं प्रश्नावली आधारित सत्र लिया गया।

अन्तिम समापन सत्र को सम्बोधित करते हुए श्री समीर कुमार सिंह उपायुक्त जोधपुर (पश्चिम) ने पुलिस कार्यवाहियों एवं प्रक्रिया के हर चरण में बच्चे के हितों को सर्वोपरि समझने के लिए कहा एवं उन्होंने पुलिस अकादमी के इस नवाचारी प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि बाल सुरक्षा में अभी और प्रभावी कार्यवाहियों की आवश्यकता है जिससे कि हम बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर देते हुए उनके भविष्य को उज्जवल बना सकेंगे।

रेन्ज स्तरीय प्रशिक्षण–जयपुर आयुक्तालय

सेन्टर फॉर सोशियल डिफेन्स एण्ड जेण्डर स्टडीज, राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर द्वारा बाल संरक्षण विषय पर जयपुर आयुक्तालय के पुलिस अधिकारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण 19–20 मई, 2016 को आयोजित किया गया। इसके मुख्य अतिथि श्री उमेश मिश्रा अति. महानिदेशक सिविल राइट्स एवं जयपुर श्री संजय अग्रवाल आयुक्त पुलिस राजस्थान थे। सत्र के आरम्भ में दोनों अतिथियों का स्वागत किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के आरम्भ में श्रीमती अनुकृति उज्जैनियाँ सहायक निदेशक, आर.पी.ए.,जयपुर ने इस प्रशिक्षण कार्यशाला पर प्रकाश डालते हुए बताया कि प्रशिक्षण का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों को बच्चों से सम्बन्धित कार्यवाहियों को विधि सम्मत तरीकों से करते हुए बच्चों के सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिए तैयार करना है।

प्रथम सत्र को सम्बोधित करते हुए श्री ओ. पी. गल्हौत्रा निदेशक आरपीए ने कहा कि समाज में आज भी बहुत सारे बच्चे विकास की मुख्य धारा से दूर हैं, बच्चे स्कूल जाने के बजाय विभिन्न तरह के श्रम से जुड़े हुए हैं, शोषण के शिकार हो रहे हैं। ऐसे बच्चों का संरक्षण एवं पुनर्वास चुनौतीपूर्ण है जिसे सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएँ साझी रणनीति से ही कर सकते हैं। इस कार्य में पुलिस भी महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाते हुए इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है।

अतिथि वक्ता श्री उमेश मिश्रा अति. महानिदेशक सिविल राइट्स ने कहा कि बाल अधिकारों को सुनिश्चित किये बिना मानव अधिकारों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। किसी भी व्यक्ति के जीवन में गरिमा एवं विकास की बुनियाद उसके बचपन से आरम्भ होती है जिसमें परिवार, विद्यालय एवं समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

श्री संजय अग्रवाल आयुक्त जयपुर पुलिस ने कहा कि बच्चों एवं महिलाओं की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है एवं इसके लिए कारगर उपाय निरन्तर जारी रहने चाहिये। इन उपायों में प्रशिक्षण भी विशेष महत्व रखते हैं। इन्होंने आशा व्यक्त की कि इन प्रशिक्षणों से पुलिस कार्यवाहियाँ और अधिक प्रभावशील होंगी एवं बच्चों के लिए राज्य में बेहतर सुरक्षित माहौल होगा।

नीतू प्रसाद विशेषज्ञ बाल सुरक्षा ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा पारित बालकों के अधिकारों से संबंधित अधिघोषणा एवं भारत सरकार द्वारा सहमत उत्तरजीविता, सुरक्षा, विकास एवं सहभागिता के अधिकारों पर अपनी बात रखी। उन्होंने बच्चों के साथ सुधारात्मक एवं पुनर्वास का दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया।

अगले सत्र में श्री युधिष्ठिर पानिग्रही ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 एवं इसमें पुलिस अधिकारियों की भूमिकाओं पर विस्तृत विवेचना की। डॉ. चेतना एडीजे जयपुर – 7 ने किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 पर चर्चा करते हुए कहा कि कानून बच्चों के लिए कल्याणकारी एवं पुनर्वास पर आधारित बच्चों को सुरक्षा देने वाला है। जिसमें बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, विशेष किशोर पुलिस एकक एवं बाल कल्याण पुलिस अधिकारी महत्वपूर्ण घटक हैं।

श्री धनन्जय शर्मा अति. आयुक्त श्रम ने बाल श्रम (प्रतिबन्ध एवं नियमन) अधिनियम, 1986 पर चर्चा करते हुए कहा कि बाल श्रम किसी भी सभ्य समाज के लिए कलंक है, मासूम बच्चों को बेबसी में यह सब करना पड़ता है जबकि उनकी यह उम्र पढ़ने–लिखने एवं विकासात्मक गतिविधियों में भाग लेने की होती है। उन्होंने कहा कि कई प्रयासों के बाद भी आज ये बच्चे इससे मुक्त नहीं हो पाये हैं। अधिनियम के लागू होने के बावजूद भी बाल मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए कानूनों की सख्ती से पालना के साथ ही समुदाय में अधिनियमों के बारे में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। इस अधिनियम में कार्यवाही प्रक्रियाएँ एवं मानक बने हुए है साथ ही यह विशेष तरह के कारोबार व धंधों में बच्चों को काम कराने पर प्रतिबन्ध लगाता है। यह अधिनियम कार्यस्थल पर बेहतर परिस्थितियों का नियमन भी करता है।

धीरज वर्मा पुलिस निरीक्षक ने समूह कार्य का संयोजन किया जिसमें पुलिस अधिकारियों से प्रत्येक हितधारी संस्थाओं से अपेक्षाएँ जानी गयी। श्री महेन्द्र दवे ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 चर्चा करते हुए नये प्रावधानों एवं पुलिस की भूमिकाओं पर प्रकाश डाला।

समापन सत्र को हंसा सिंह देव ने बच्चों के प्रति अत्यन्त संवेदनशीलता की जरूरत पर बल दिया एवं अपने अर्न्तमन को जगाने की जरूरत बतायी। उन्होंने समाज के संसाधनों का दोहन की बात करते हुए कहा समाज में लोग अभी भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। हमें विशेषकर कारपोरेट सेक्टर के संसाधनों को जुटाना चाहिये। उन्होंने फोस्टर केयर को प्रोत्साहित करने पर बल दिया क्योंकि यह प्रक्रिया बच्चों के सामाजिकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण है।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जयपुर आयुक्तालय के 57 पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया।

जिला स्तरीय प्रशिक्षण

(टोंक)

बाल मित्रवत् जिला टोंक - एक अभिनव पहल

राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से बाल संरक्षण के लिए पुलिस के सशक्तीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत बाल मित्रवत् जिले के लिए टोंक जिले का चयन किया गया। जिसका उद्देश्य टोंक जिले का एक ऐसे बाल मित्रवत् जिले के रूप में विकसित करना था जिसमें न केवल पुलिस ही बाल हितैषी हो वरन् अन्य सरकारी, गैर सरकारी विभाग एवं जनसमुदाय भी अपनी भागीदारी दे पाए।

बालमित्र एक ऐसी वैचारिक अवधारणा है जिसमें यह परिकल्पना की गयी है कि एक ऐसे समाज का निर्माण हो जिसमें बच्चों का सर्वोत्तम हित निहित हो। बच्चों के लिए ऐसा पर्यावरण हो जिसमें वह अपनी इच्छाएँ, भावनाएँ एवं विचार व्यक्त कर सके एवं अपने को सुरक्षित महसूस करते हुए विकास कर सकें। विधि से संघर्षरत होने एवं देखभाल व संरक्षण वाले बालकों को समाज की मुख्य धारा में बनाये रख सके। अकादमी ने पिछले वर्षों में राज्यभर के 2000 से अधिक पुलिस अधिकारियों को बाल संरक्षण के लिए प्रशिक्षित किया है, परन्तु अकादमी स्तर पर बाल संरक्षण से जुड़ी अन्य संस्थाओं को प्रशिक्षण दिया जाना संभव नहीं होने के कारण प्रशिक्षण का विस्तार करते हुए टोंक जिले में यह प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया।

टोंक राजधानी के नजदीक स्थित होने के बावजूद भी राज्य के पिछड़े जिले के रूप में जाना जाता है। बाल संरक्षण की स्थितियाँ भी यहाँ सन्तोषप्रद नहीं है। बाल विवाह का बाहुल्य है एवं राज्य में बाल विवाह होने वाले प्रमुख जिलों में से एक है। जिले में बालश्रम की स्थितियाँ विद्यमान है बच्चे यहाँ कालीन एवं बीड़ी उद्योग में कार्यरत हैं। यहाँ इनके विरुद्ध वातावरण बनाया जाना चुनौतीपूर्ण है। इसके अलावा टोंक भौगोलिक रूप से एक छोटा जिला है जिसकी शहरी आबादी भी आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त नहीं है। बालिका शिक्षा एवं सुरक्षा, बालश्रम एवं बाल विवाह चुनौती के रूप में हैं इसलिए बालकों को बेहतर एवं सुरक्षित वातावरण विकास के अवसर देने के लिए अनुकूल है।

टोंक जिले में बाल संरक्षण के लिए कार्यरत संस्थाओं का सशक्त नेटवर्क है, प्रभावी रूप से कार्यरत चाइल्ड लाईन भी विद्यमान है। टोंक जिला पूर्व में यूनिसेफ कार्यक्रमों के लिए प्राथमिक भी रहा है। यूनिसेफ द्वारा जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं प्राथमिक शिक्षा के अभिनव कार्यक्रम चलाये गये थे। टोंक जिले के चयन के लिए एक और आधार यहाँ से मिलने वाला सहयोग भी रहा। चयन की आरम्भिक वार्ता में स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने गहन रुचि दिखायी एवं अन्य सरकारी एवं गैर–सरकारी संस्थाओं से भी सहयोग का आश्वासन मिला। जिस कारण से टोंक जिले को बाल मित्रवत जिला बनाने की अभिनव पहल की गयी।

जिला स्तरीय प्रशिक्षण – टोंक

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा बाल संरक्षण विषय पर एक दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 6 से 7 जुलाई, 2015 को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में टोंक जिले के पुलिस अधिकारियों, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, सामुदायिक सम्पर्क समूह के सदस्यों एवं स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं के 76 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के आरम्भ में आगन्तुकों का स्वागत करते हुए श्रीमती अनुकृति उज्जैनियाँ अति. पुलिस अधीक्षक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर ने कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बताया कि राजस्थान पुलिस अकादमी के 'सेन्टर फॉर सोशियल डिफेन्स एण्ड जेण्डर स्टडीज' एवं जिला पुलिस टोंक के द्वारा यूनिसेफ राजस्थान के सहयोग से बाल संरक्षण के आधार पर टोंक जिले को बाल मित्रवत् आदर्श जिले के रूप में बनाये जाने की दिशा में पहल की गयी है, जिसके प्रथम चरण में जिले के सभी पुलिसकर्मियों को बच्चों से सम्बन्धित कानूनों पर प्रशिक्षण दिया जावेगा। जिसमें कानूनी पहलूओं सहित बच्चों के साथ उनकी गरिमा के अनुकूल व्यवहार करने, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एवं स्वयं बच्चों को सशक्त बनाने के लिए आत्म सुरक्षा की जानकारियाँ दी जावेंगी। बाल संरक्षण पर यह प्रशिक्षण जिला एवं वृत स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। इस कार्यक्रम के तहत टोंक जिले के एक पुलिस थाने को बाल मित्रवत् थाने के रूप में भी तैयार किया जावेगा ।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री भगवान लाल सोनी, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एवं निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर ने उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करते हुए कहा कि विगत कुछ वर्षों में बालकों के विरुद्ध अपराधों एवं विधि से संघर्षरत बच्चों की संख्या में तेजी से वृद्धि हमारे लिए चिन्ता का विषय है। इनके लिए विधिक कार्यवाहियों एवं पुनर्वास एवं इनके अधिकारों का संरक्षण हमारे लिए चुनौती है। इस युवा पीढ़ी को समाज की मुख्य धारा में नहीं रखा गया तो आगे आने वाले समय में ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती होंगे। बच्चे एवं महिलाएँ पुलिस को डर नहीं अपितु मददगार की भूमिका में देखे एवं हम पर विश्वास करें, पीड़ित होने पर हमारे पास सुरक्षा के लिए आये। यह तभी संभव है जब हम भी अपने व्यवहार में बदलाव लाएँ। उन्होंने बाल संरक्षण के आधार पर टोंक जिले को बाल मित्रवत् आदर्श जिले के रूप में बनाये जाने की विस्तृत व्यूहरचना पेश की।

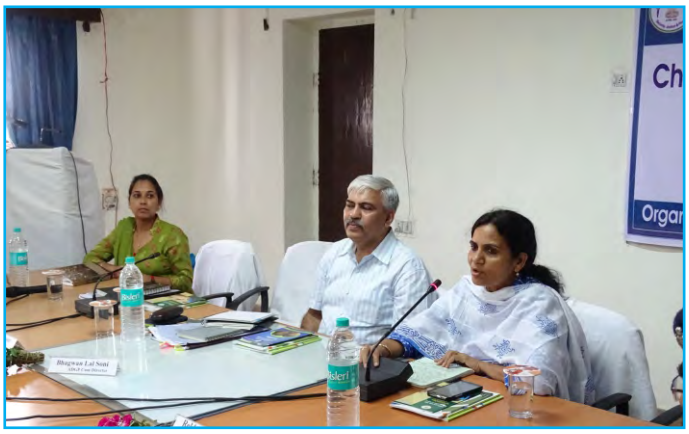

प्रशिक्षण कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर रेखा गुप्ता ने जिले में बच्चों की स्थितियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि टोंक जिले के लिए यह अच्छा अवसर है, जब हम बच्चों के हित में कार्य कर सकेंगे। टोंक जिले में बाल संरक्षण में कार्य करने की अपार संभावनाएँ हैं। जिले में बाल विवाह, बाल श्रम, शिक्षा का अभाव होने से बालकों को आगे बढ़ने के अवसर नहीं मिल पाते हैं। इसलिए बालकों के लिए कार्य करने वाली संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि बालकों के हित में कार्य करते हुए विभिन्न सरकारी योजनाओं से बालकों को जोड़े व लाभ दिलाएँ।

पुलिस अधीक्षक टोंक ने जिले को बाल मित्रवत् बनाये जाने के लिए अकादमी का उच्चस्तरीय प्रयास बताया एवं बच्चों के कानूनों को संवेदनशीलता से लागू करने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया। प्रशिक्षण के एक और सत्र में सूरज सिंह नेगी उपखण्ड अधिकारी टोंक ने बच्चों की सुरक्षा विशेषतः बाल विवाह को रोकने के लिए वर्तमान वैधानिक प्रावधानों एवं उनके लिए जिम्मेदार संस्थाओं की भूमिकाओं पर महत्वपूर्ण चर्चाएँ कीं।

किशोर न्याय अधिनियम पर चर्चा करते हुए श्रीमती माया सुवालका, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति टोंक ने कहा कि जिले में बाल संरक्षण संस्थाओं में समन्वय होने के कारण बालश्रम में प्रभावी कार्यवाहियाँ हो रही हैं, परंतु टोंक में बालिका गृह नहीं होने के कारण कई बार परेशानी आती है। उन्होंने भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों के माता–पिता की काउन्सलिग एवं उन्हें शिक्षा से जोड़ने पर जोर दिया। इस कार्यशाला में बालकों से सम्बंधित पोस्टर का विमोचन भी किया गया।

प्रशिक्षण के अन्त में संयोजक श्रीमती अनुकृति उज्जैनियाँ, अति. पुलिस अधीक्षक ने पुलिस अधिकारियों, सीएलजी सीडब्ल्यूसी, जेजेबी के सदस्यों एवं स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण को सफल बनाने के लिए एवं पुलिस अधीक्षक टोंक का प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए विशेष आभार व्यक्त किया।

जिला स्तरीय प्रशिक्षण – महिला एवं बाल डेस्क

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा टोंक में बाल संरक्षण विषय पर महिला एवं बाल डेस्क प्रभारियों बाल कल्याण अधिकारियों, महिला आरक्षियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं का दो दिवसीय प्रशिक्षण 20 से 21 जुलाई, 2015 को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 58 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के आरम्भ में श्रीमती अनुकृति उज्जैनियाँ ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार प्रत्येक थाने पर महिला एवं बाल डेस्क की स्थापना वर्ष 2004 में की गयी है जिसका उद्देश्य यह है कि सामाजिक एवं पारिवारिक कारणों से व्यथित महिलाएँ बिना झिझक एवं दबाव के मित्रवत् व सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपनी वेदना व व्यथा पुलिस के समक्ष व्यक्त कर सकें और समस्या के निदान के लिए उचित मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त कर सकें। उसके साथ ही किशोर न्याय व्यवस्था के अनुरूप बालकों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार एवं प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु भी इस डेस्क को उत्तरदायी बनाया गया है।

प्रशिक्षण में श्री सुखदेव जांगीड़ कमाण्डेन्ट 9वीं बटालियन टोंक ने संगठनों एवं समुदाय की भूमिकाओं पर चर्चा करते हुए बच्चों एवं महिलाओं की सुरक्षा के लिए समाज के अन्य संगठनों की महत्ती भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बाल एवं महिला सुरक्षा कार्यक्रम के अनुभवों को साझा किया और साथ ही पुलिस थाने में कार्यरत महिला एवं बाल डेस्क की इसमें महत्वपूर्ण भूमिकाएँ बतायी। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण डेस्क पर उस अधिकारी को

नियुक्त किया जाना चाहिए जो महिलाओं एवं बच्चों के प्रति संवेदनशील हों, डेस्क पर कार्य करने के प्रति रुचि रखते हों, महिलाओं एवं बच्चों से सम्बन्धित कानूनों और व्यवस्थाओं की जानकारी हो, जनसामान्य से अच्छा व्यवहार हो और वे महिलाओं व बच्चे के साथ आसानी से तादाम्य स्थापित कर सकें।

महिला डेस्क की भौतिक सुविधाओं पर चर्चा करते हुए बताया कि डेस्क की स्थापना के लिए वर्तमान में पुलिस थानों में उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग किया जाकर एक पृथक कमरा मुख्यद्वार के पास उपलब्ध कराया जाये जहाँ अन्दर व बाहर का दृश्य आसानी से दिखायी दे सके। पृथक से बैठने के लिए कुर्सी, टेबिल, पंजीकाएँ, पत्रावलियों का संधारण एवं रख–रखाव की व्यवस्था की जानी चाहिये।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन श्री रमाकान्त सतपथी कार्यक्रम अधिकारी, सेव द चिल्डन ने बाल अधिकार एवं बाल सुरक्षा पर चर्चा करते हुए बच्चों के अधिकारों के लिए जरूरत एवं इच्छाओं को समझने के लिए समूह को 4 भागों में बांटकर सहभागी कार्य कराया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में हमारा समाज बालकों की आवश्यकता आधारित पद्धति पर कार्यरत है जिसमें बालक की इच्छाएं व जरूरतें उसकी आवश्यकता मानकर पूरी की जाती है जो कि स्वैच्छिक ओर वैकल्पिक है। जबकि अधिकार आधारित पद्धति में बालकों की इच्छाएं उनका अधिकार मानकर पूरी की जाती है। जो सभी बच्चों पर समान रूप से लागू होती है। उन्होंने समूह के कार्यों का समकेन करते हुए उत्तरजीविता, सुरक्षा, विकास एवं सहभागिता के अधिकारों की व्याख्या की।

प्रशिक्षण के अन्त में सभी प्रतिभागियों से प्रश्नोत्तरी की पूर्ति करवायी गयी जिससे की प्रतिभागियों के ज्ञान, उनकी समझ एवं प्रशिक्षण की उपयोगिता का आकलन किया जाकर प्रशिक्षण की ओर प्रभावी बनाया जा सकें। अन्त में कोर्स समन्वयक धीरज वर्मा ने सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित किया।

जिला स्तरीय प्रशिक्षण- परामर्शी कार्यशाला

12 जनवरी, 2016 को एक परामर्शी कार्यशाला का आयोजन टोंक जिला मुख्यालय पर आयोजित किया गया। जिसका मुख्य उद्देश्य बाल संरक्षण से जुड़े कार्यों में आ रही बाधाओं को पहचानना एवं इनके निराकरणों के लिए साझी योजना बनाकर कार्य करना था। इसमें 28 पुलिस अधिकारियों, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड सदस्यों, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस परामर्शी कार्यशाला में टोंक के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजेन्द्र कुमार, पुलिस अधीक्षक श्री दीपक कुमार, अति. कलेक्टर श्री लोकेश गौतम एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तस्लीम नसरीन ने अपने विचार व्यक्त किए एवं टोंक जिले में आयोजित की जा रही बाल मित्रवत् गतिविधियों के बारे में विस्तृत चर्चा की। राज. पुलिस अकादमी के निदेशक श्री बी.एल. सोनी ने पूर्व के प्रशिक्षणों के फीडबेक लिया। प्रत्येक संस्था ने अपने क्षेत्र में कार्य करते हुए बाल संरक्षण में आने वाली समस्याओं के बारे में अवगत कराया। पुलिस अधिकारियों ने मानव तस्करी इकाई के पास संसाधनों का अभाव होने के कारण बड़े स्तर पर कार्य करने में असमर्थता जतायी, वही किशोर न्याय बोर्ड द्वारा सम्मन की तामिल नहीं होने के कारण प्रकरणों के निस्तारण में देरी होना बताया। बाल कल्याण समिति द्वारा बालकों के प्रकरणों के संबंध में पुलिस द्वारा सूचना नहीं दिया जाना, काउंसलिंग में विशेषज्ञों के अभाव के बारे में जानकारी दी। सामुदायिक सम्पर्क समूह द्वारा कानून के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की एवं चाईल्ड लाईन द्वारा बालकों के सम्बन्ध में सूचना मिलने पर संस्थाओं का सहयोग नहीं मिलने की बात कही। टोंक जिले में कार्यरत शिव शिक्षा समिति, वर्ल्ड विजन, अजीम प्रेमजी, तरक्की फॉउन्डेशन, सिकोइडिकोन, मदनमोहन मालवीय शिक्षण एवं जन सेवा संस्थान, ग्रामीण विकास एवं तकनीकी केन्द्र व राहुल पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति के सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किये एवं महत्वपूर्ण सुझाव दिये।

जिला स्तरीय प्रशिक्षण- टोंक

बाल संरक्षण विषय पर पुलिस अधिकारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण 16 से 17 सितम्बर 2016 को पुलिस लाइन सभागार में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रारम्भ में श्रीमति अनुकृति उज्जैनिया, अति. पुलिस अधीक्षक, आर.पी.ए. ने कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य एवं जिले में बाल संरक्षण के लिए पुलिस अधिकारियों से अपेक्षाएं बतायी। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रीति जैन पुलिस अधीक्षक टोंक थी।

उन्होने उदघाटन सत्र को सम्बोधित करते हुए कहा कि बच्चों की सुरक्षा समाज की साझी जिम्मेदारी है, परन्तु आम जन की हमसे हमेशा अपेक्षाएं अधिक रहती है। हमें उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। हमें पुलिस कार्यवाहियों में कम समय लगाकर बच्चों को तुरन्त न्याय दिलाना है तभी समाज में बच्चों के लिए सुरक्षा का वातावरण तैयार होगा। उन्होने कहा कि अगर बच्चों या किसी के भी अपराध करने वालों को तुरन्त सजा मिलती है तो आम जन का पुलिस के प्रति विश्वास ओर अधिक सुदृढ़ होता है जिससे समुदाय की भागीदारी बढती है ओर इससे अपराध नियंन्त्रण ओर अधिक मदद मिलती है।

द्वितीय सत्र में श्री महेन्द्र दवे ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं लैगिक अपराधों से बालको की सुरक्षा अधिनियम पर चर्चा करते हुए नये प्रावधानों की जानकारियां दी। श्री दवे ने किशोर न्याय व्यवस्था के विभिन्न मुद्दों बोर्ड के अधिकार, जघन्य अपराधों एवं सामान्य अपराधों का निर्धारण एवं इनकी जांच के लिए समय एवं जमानत सम्बन्धी प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होने बालकों के पुलिस के सम्पर्क में आने पर पुलिस द्वारा बरती सावधानियों के बारे में बताया।

धीरज वर्मा पुलिस निरीक्षक ने विशेषत बाल तस्करी पर चर्चा करते हुए उसके सामाजिक, आर्थिक एवं बालकों पर पडने वाले शारीरिक एवं मानसिक प्रभावों पर प्रकाश डाला। उन्होने राजस्थान के संदर्भ में कहा कि राज्य में कई क्षैत्रों में बच्चें कई तरहों के कार्यो में लगे हुए हैं विशेषकर शहरों में भिक्षावृति, सीमावर्ती जिलों के बच्चों की श्रम के लिए अन्तर्राज्यीय तस्करी एवं जयपुर में रत्न उद्योग, घरेलू कार्यो एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में खनन श्रम एवं आदिवासी अंचल में बालश्रम के लिए बाल तस्करी बी.टी कॉटन खेतों के कार्यें शामिल है। देह व्यापार एवं बलात विवाह के लिए के लिए मानव तस्करी धौलपुर, भरतपुर एवं सवाई माधोपुर में, खनन एवं संगमरमर के कार्यो में ईट भटटों के लिए हो रही है। इन बच्चों की शारारिक एवं मानसिक स्वास्थ्य चिन्ता का विषय है। विवाह के लिए अन्य राज्यों से लड़कियों की खरीद परोख्त किये जाने के मामले भी सामने आये है। बच्चों की तस्करी सीधे तौर पर बालश्रम के साथ जुड़ी हुए है स्थानीय स्तर पर बाल श्रमिकों की कम उपलब्धता एवं नियोजक अपने अन्य लाभों के लिए अन्य राज्यों बच्चों को बहला फुसलाकर लाते है।

अन्तिम सत्र में महिला एवं बाल डेस्क की अवधारणा एवं इसकी कार्यवाहियों पर श्रीमति अनुकृति उज्जैनिया, अति. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पीड़ित बच्चों एवं महिलाओं की कार्यवाही प्रक्रियाओं के साथ ही मानसिक सलाह/परामर्श कर पुनर्वास में अधिक व्यावहारिक भूमिकाएं है। उन्होने कहा कि लैगिंक अपराधों से बालकों की सुरक्षा कानून 2012 में महिला डेस्क की महत्वपूर्ण भूमिकाएं है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015 में वर्णित ''बाल कल्याण अधिकारी'' को भी महिला एवं बाल डेस्क का सदस्य बनाया जाना चाहिए।

प्रशिक्षण के दूसरे दिन शालिनी गोयल एसीजेएम टोंक ने बाल विवाह एवं बाल श्रम के विभिन्न संदर्भो में कहा कि बाल श्रम से निबटने के लिए सरकार द्वारा कई प्रकार के कानून भी बनाए गए है तथापि इनकी प्रभावी पालना के अभाव में प्रयास कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। बाल श्रम एवं बाल विवाह पर विराम लगाने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से सभी राज्यों के लिए वर्ष 2010–11 से समेकित बाल सुरक्षा योजना को लागू किया गया है और इसके तहत राज्य में प्रभावी प्रयास करने की बात कही। सरकार द्वारा वर्ष 2010 से बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम लागू करते हुए हर बच्चे के हाथ में किताब थमाने का लक्ष्य रखते हुए भी यही सोचा गया है कि इससे बाल श्रम एवं बाल विवाह पर काबू पाया जा सकेगा। लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी स्थितियों में बहुत अधिक नहीं सुधार नहीं हो पाया।

यदुराज शर्मा सलाहकार यूनीसेफ ने बाल अधिकारों पर व्याख्यान दिया जिसमें बाल अधिकारों में बच्चों के बुनियादी, पूर्ण स्वतंत्रता एवं मानव अधिकार में समाहित होने एवं बच्चों को यह अधिकार जाति, धर्म, भाषा, लिंग एवं नस्ल के भेदभाव के बिना प्राप्त होने की बात कही। उन्होंने टोंक जिले में बाल अधिकारी की स्थितियों पर कहा कि आज भी टोंक शहर में काफी बच्चे बीड़ी उद्योग में कार्यरत है जिससे इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास प्रभावित हो रहा है। टोंक जिले में बाल विवाह भी बहुतया प्रचलित है जिससे बालिकाओं के सुरक्षित जीवन का अधिकार प्रभावित हो रहा है। अंतिम सत्र में विश्वास शर्मा सलाहकार यूनिसेफ द्वारा ''एक था बचपन'' फिल्म को प्रदर्शित कर सम्बंधित प्रश्नोत्तरी सत्र लिया गया व अंत में सभी प्रतिभागियों, अतिथि श्रीमती शालिनी गोयल, एसीजेएम व जिला पुलिस का आभार व्यक्त किया।

वृत्त स्तरीय प्रशिक्षण

(निवाई, देवली, उनियारा, टोंक)

वृत स्तरीय प्रशिक्षण - निवाई

बाल संरक्षण विषय पर पुलिस आरक्षीगणों का प्रशिक्षण दिनांक 02–03 सितम्बर, 2015 तक पंचायत समिति सभागार निवाई में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के आरम्भ में प्रशिक्षण की संयोजक श्रीमती अनुकृति उज्जैनियाँ ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एवं स्वयं बच्चों को सशक्त बनाने के लिए आत्म सुरक्षा, बचाव एवं कानूनी जानकारियाँ देना भी आवश्यक है। बालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना थाने के प्रत्येक पुलिसकर्मी का दायित्व है। थाना क्षेत्र में बालश्रम व अन्य अपराधों में दबिश देकर बच्चों को छुड़ाना, बाल कल्याण समिति के सामने पेश करना, आरोपी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर सजा दिलाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिये। यह तभी संभव है जब हम बालकों के प्रति संवेदनशील होकर कार्य करेंगे।

प्रशिक्षण में प्रारम्भिक उद्‌बोधन में धर्मवीर यादव बाल सुरक्षा विशेषज्ञ ने वर्तमान परिदृश्य पर चर्चा करते हुए कहा कि भारत ने अन्य देशों की भांति बच्चों को एक सुखद, स्वस्थ एवं सुरक्षित भविष्य का अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि पर दिसम्बर, 1992 को हस्ताक्षर कर बच्चों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। राजस्थान में बाल संरक्षण की विभिन्न चुनौतियाँ बाल श्रमिक व बंधुआ बाल श्रमिक, बाल विवाह, बाल शोषण व अत्याचार, बाल तस्करी, कन्या भ्रूण हत्या, शारीरिक या मानसिक रूप से पीड़ित बच्चों को सुरक्षा देने की बात कही। बाल श्रम एवं बाल तस्करी की रोकथाम हेतु जारी किये आदेश व दिशा–निर्देशों का विवरण देते हुए कहा कि बाल श्रमिकों की पहचान, मुक्ति एवं पुनर्वास एवं बाल तस्करी की रोकथाम हेतु मानक संचालन प्रक्रिया एवं जिलों में टास्क फोर्स एवं मानव तस्करी विरोधी यूनिट का गठन एवं भूमिकाएँ के बारे में चर्चा की गयी।

बाल विवाह पर चर्चा करते हुए देवशी सिंह समन्वयक चाइल्ड लाइन टोंक ने बाल विवाह को रोकने के लिए वर्तमान वैधानिक प्रावधानों पर चर्चा करते हुए कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले अपराध को संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध माना गया है। राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में उपखण्ड अधिकारियों को बाल विवाह निषेध अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। प्रत्येक बाल विवाह, चाहे वह इस कानून के लागू होने के पहले या बाद में हुआ हो, अवैध है। इसके लिये अनिवार्य है कि जिसका बाल विवाह हुआ है उसे जिला न्यायालय में बाल विवाह को निरस्त करने की याचिका दायर करनी होती है। यह उसकी ओर से उसके अभिभावक या निकटतम मित्र के माध्यम से संयुक्त रूप से याचिका दायर की जा सकती है। इसमें बाल विवाह में शामिल–महिला पक्षकार (बालिका) को कानून में निर्वाह भत्ता तथा आवास प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। कानून में बाल विवाह से पैदा हुए बच्चों की अभिरक्षा तथा निर्वाह भत्ते की वैधानिक सुरक्षा की गयी है।

प्रशिक्षण के अन्तिम सत्र में यदुराज शर्मा ने कहा कि बाल संरक्षण के विभिन्न मुद्‌दों पर पुलिस की बहुस्तरीय भूमिकाएँ हो सकती हैं। अपराध की ओर जा सकने वाले बच्चों की पूर्व पहचान कर हम एक सुरक्षित माहौल का निर्माण कर सकते हैं। इस कार्य में समुदाय स्तर पर कार्यरत बीट अधिकारी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। समुदाय स्तर पर बच्चों के साथ होने वाले दुर्व्यवहारों की रोकथाम के लिए वे समाज में प्रभावशाली व्यक्तियों की मध्यस्थता लेकर प्रभावी काम कर सकते हैं। इससे पुलिस के प्रति भविष्य की चुनौतियाँ भी कम होंगी साथ ही पुलिस के प्रति समाज का दृष्टिकोण में भी बदलाव आ सकेंगे।

उक्त प्रशिक्षण के दौरान वृत्ताधिकारी निवाई श्री सुनील कुमार एवं थानाधिकारी श्री रामावतार ताखर ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

वृत स्तरीय प्रशिक्षण – देवली

बाल संरक्षण विषय पर देवली वृत के पुलिस मुख्य आरक्षी एवं आरक्षियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण 07 से 08 अक्टूबर, 2015 को नगर पालिका सभागार देवली में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में 84 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के आरम्भ में श्रीमती अनुकृति उज्जैनियाँ ने बताया कि बाल सुरक्षा पुलिस का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। वर्तमान में बालकों के विरुद्ध बाल श्रम, बाल विवाह, बाल तस्करी यौन दुष्कर्म जैसे प्रकरणों में लगाातार वृद्धि हो रही है। बीट प्रभारी होने के नाते आपका दायित्व है कि आप अपने इलाके में होने वाले बाल अपराधों पर नजर रखे एवं तुरन्त प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही करें।

देवली नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती रेखा जैन ने देवली में आयोजित कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए बालकों के हित में कार्य करने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रशिक्षण में अखलेश शर्मा पुलिस उप अधीक्षक देवली वृत ने प्रशिक्षण की महत्ता बताते हुए कहा कि इस प्रशिक्षण से आरक्षीगण अधिक संवेदनशील होकर बच्चों की बेहतर मदद एवं सुरक्षा में भागीदारी निभा सकेंगे । उन्होंने पुलिस को सुधारात्मक एवं पुनर्वास का दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया।

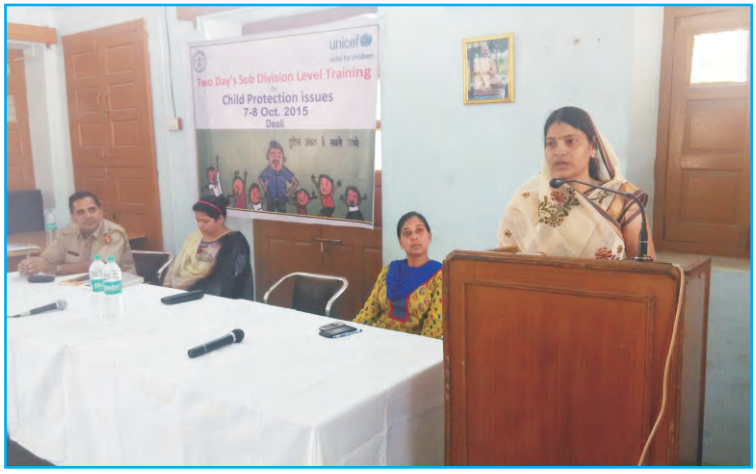

प्रशिक्षण में विश्वास शर्मा ने किशोर न्याय (देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 एवं संशोधन 2006 एक्ट के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के तहत प्रत्येक जिले में विभिन्न संस्थाओं किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई तथा प्रदेश के प्रत्येक थाना स्तर पर बाल कल्याण अधिकारी की नियुक्ति की गई है। अधिनियम की मंशा है कि बच्चों के साथ सामान्य अपराधियों की तरह व्यवहार नहीं किया जावे। उन्होंने कानून की विभिन्न धाराओं, किशोर न्याय बोर्ड व बाल कल्याण समिति की संरचना, कार्य व पुलिस की

भूमिका के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि विधि का उल्लंघन करने वाला या देखरेख व संरक्षण वाले बालक को 24 घण्टे के अंदर किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। बालकों को किसी भी स्थिति में लॉकअप में नहीं रखेंगे व बालकों से संबंधित कार्यवाही के दौरान वर्दी का उपयोग न करें। बालकों के नाम, पते, तस्वीर व उनकी पहचान को प्रकट नहीं किया जावे।

बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष माया सुवालका ने अवगत करवाया कि देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक को किसी भी समय समिति के अध्यक्ष या सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है, परन्तु देर रात्रि के समय बालक को समिति के सदस्य से सम्पर्क नहीं होने की स्थिति में राजकीय एवं अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत स्वयं–सेवी संस्था द्वारा संचालित बाल गृह में रखा जायेगा तथा अगले दिन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। देखरेख की आवश्यकता वाले बच्चे को यात्रा में लगने वाले समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर किसी भी व्यक्ति के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। पुलिस ऐसे बालकों के मामलों में जिले में संचालित चाईल्ड लाइन सेवा (1098) एवं जिले में गठित जिला बाल संरक्षण इकाई से भी आवश्यकतानुसार सहायता ले सकती है।

प्रशिक्षण के अन्तिम सत्र में धीरज वर्मा पुलिस निरीक्षक ने मानव तस्करी के संदर्भ में राज्य की वर्तमान स्थितियों पर एक प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में मुख्यतः मानव श्रम तथा देह व्यापार के लिए मानव तस्करी हो रही है। विवाह के लिए अन्य राज्यों से लड़कियों की खरीदफरोख्त किये जाने के मामले भी सामने आये हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर पुलिस को और अधिक संवेदनशील बनने की महती जरूरत बतायी। कार्यशाला में प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों में बाल संरक्षण की समझ को जाँचने के लिए एक प्रश्नोत्तरी दी गई।

वृत स्तरीय प्रशिक्षण - उनियारा

बाल संरक्षण विषय पर पुलिस आरक्षीगणों का प्रशिक्षण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सभागार उनियारा में 23–24 नवम्बर, 2015 को आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के आरम्भ में अनुकृति उज्जैनियाँ अति. पुलिस अधीक्षक ने कार्यशाला के मुख्य उद्देश्यों एवं रूपरेखा के बारे में प्रकाश डालते हुए कहा कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानूनी जानकारियाँ दी जावेंगी। बालश्रम को राजस्थान के परिपेक्ष्य में चर्चा करते हुए बताया कि वर्तमान में राज्य में कई क्षेत्रों में बच्चे श्रम में लगे हुए हैं विशेषकर शहरों में भिक्षावृत्ति, रत्न उद्योग, कारपेट उद्योग, नगीना कटिंग, फायर वर्क्स, वस्त्रों की रंगाई–छपाई, बी.टी. कॉटन कार्य एवं कस्बों में तम्बाकू एवं बीड़ी उद्योग, होटल ढ़ाबों में अमानवीय दशाओं में कार्य कर रहे हैं। राजस्थान के सीमावर्ती राज्यों में देह व्यापार, बलात् विवाह एवं बी.टी. कॉटन की खेती हेतु भी बालकों की तस्करी की जा रही है, जबकि बालकों को शोषण से रोकने के लिए विभिन्न कानून अस्तित्व में हैं। इसलिए आवश्यक है कि समुदाय के लोगों में कानूनों का प्रचार–प्रसार किया जावें।

बाल विवाह के बारे में चर्चा करते हुए देवशी सिंह ने बताया कि राज्य में विवाह की औसत आयु 17 वर्ष है जो विधि में निर्धारित आयु से भी काम है। कानून में बाल विवाह को अजमानतीय अपराध बनाये जाने के बावजूद अभी भी आखातीज के अबूझ सावे पर बड़ी संख्या में बाल विवाह सम्पन्न होते हैं। पुलिस का दायित्व है कि समाज में बालविवाह (प्रतिषेध) अधिनियम 2006 के प्रावधानों के बारे में जनजागरूकता पैदा करें। बाल विवाह के दुष्परिणामों से लोगों को अवगत करायें एवं बाल विवाह की सूचना का पुष्टीकरण होने पर कानून सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित करें। शिक्षा को बढ़ावा दिया जाकर भी इन कुरीतियों को समाप्त किया जा सकता है।

वृत स्तरीय प्रशिक्षण- टोंक

बाल संरक्षण विषय पर टोंक वृत के पुलिस मुख्य आरक्षी एवं आरक्षियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम दो दिवसीय प्रशिक्षण 20 से 21 सितम्बर, 2015 को जिला पुलिस लाइन सभागार में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के आरम्भ में नरसी मीणा, पुलिस उप अधीक्षक ने प्रशिक्षण के उद्देश्यों पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए कहा कि इस प्रशिक्षण द्वारा ये आरक्षी अधिक संवेदनशील होकर बच्चों की बेहतर मदद एवं सुरक्षा में भागीदारी निभा सकेंगे।

नीतू प्रसाद बाल सुरक्षा परामर्शद् ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं इन्हें सुरक्षित एवं विकास के अवसर दिये जाने चाहिये। उन्होंने बताया कि बाल संरक्षण विस्तृत विचार है जिसमें बच्चों को अधिकार, आत्मविश्वास एवं ऐसा पर्यावरण देना आवश्यक है जिसमें वह अपनी इच्छाएँ, अपनी भावनाएँ एवं विचार व्यक्त कर सकें। बच्चे पुलिस के सम्पर्क में उस स्थिति में आते हैं जब वे विधि विरुद्ध कार्य करते हैं या उन्हें संरक्षण एवं देखरेख की जरूरत होती है। ऐसे बच्चों के प्रति पुलिस को उनके बारे में पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए। हमें उनकी अपराधवृति एवं तात्कालिक परिस्थितियों में भी देखना चाहिए। कोई भी असंवेदनशील कार्यवाही उसके पुनर्वास एवं समाज में उनकी पुनर्स्थापना की कार्यवाही में बाधक बन सकती है। उनके पुनः इन्हीं अपराधवृति में चले जाने की संभावनाएँ अधिक हो जाती हैं। इसलिए ऐसे बच्चों से सम्बन्धित जाँच करते समय उनकी सामाजिक रिपोर्ट किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष लाना आवश्यक है। जिससे कि बालकों को काउन्सलिंग के जरिये सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सके।

धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक, द्वारा जनता के साथ किए जाने वाले व्यवहारों के बारे में चर्चा की। उन्होंने बताया कि माता–पिता एवं विद्यालयों में विद्यार्थियों के साथ अध्यापकों द्वारा मारपीट की जाकर अमानवीय व्यवहार किया जाता है। बालश्रम में लगे बालकों को काम के एवज में मजदूरी बहुत कम दी जाती है,बन्धुआ मजदूर के रूप में रखा जाता है। कन्या भ्रूण हत्या जघन्य अपराध है, बाल उत्पीड़न के प्रकरण होते हैं पर ऐसे प्रकरण पुलिस तक नहीं पहुँचते क्योंकि आमजन को अभी भी पुलिस पर इतना विश्वास नहीं है कि उनकी रिपोर्ट दर्ज कर ली जावेगी एवं प्रकरण में कार्यवाही ही होगी। बीट के बीट प्रभारी का दायित्व है कि वह अपने क्षेत्र में इन अपराधों के बारे में नजर रखें एवं थाने पर कार्यवाही सुनिश्चित करावें। टोंक जिले में बालश्रम एवं बाल विवाह की प्रथाओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने ने कहा कि बीट अधिकारी ऐसे संभावित बच्चों की पहचान अपने बीट क्षेत्र में करे एवं इसके नियंत्रण के लिए कार्यवाहियां करें।

बाल संरक्षण कानूनों पर राज्यस्तरीय कार्यशाला

राजस्थान पुलिस अकादमी में बाल संरक्षण कानूनों पर राज्यस्तरीय कार्यशाला का 23–24 जून, 2016 को आयोजन किया गया। जिसके मुख्य अतिथि श्री मनोज भट्ट महानिदेशक पुलिस राजस्थान एवं यूनिसेफ के राज्य प्रभारी श्री सैमुअल थे। सत्र के आरम्भ में दोनों अतिथियों का स्वागत किया गया। इस राज्यस्तरीय कार्यशाला में ओमप्रकाश उपनिदेशक एवं प्राचार्य ने बताया कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पुलिस अधिकारियों सहित किशोर न्याय बोर्ड सदस्यों, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति एवं विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों को एक साझा मंच प्रदान कर बाल संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर साझी समझ बनाना एवं सम्बन्धित विधियों पर चर्चा करना है ताकि बाल संरक्षण के लिए राज्य में बेहतर वातावरण बन सके।

कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करते हुए श्री मनोज भट्ट महानिदेशक पुलिस राजस्थान ने कहा कि बच्चों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए पुलिस सहित प्रत्येक जन को और अधिक संवेदनशील बनाना होगा। बच्चों की सुरक्षा एवं पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए पुलिस एवं संस्थाओं को साझे प्रयास करने होंगे।

प्रथम सत्र को सम्बोधित करते हुए श्री ओ. पी. गल्हौत्रा निदेशक आरपीए ने कहा कि समाज में पुलिस से विभिन्न वर्गों की अपराधों के रोकथाम के लिए बहुत अधिक अपेक्षाएँ हैं। देश की कुल आबादी में 27 प्रतिशत बच्चे हैं, इनकी सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिये एवं इसके लिए कारगर उपाय होने चाहिये।

श्री सैमुअल एम. प्रभारी, यूनिसेफ, राजस्थान ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा साझी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए सामुदायिक पुलिसिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है। सामुदायिक पुलिसिंग एक सशक्त तरीका है जिसमें समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित कर अधिक प्रभावी कार्यवाहियाँ की जा सकती हैं साथ ही इस पहल से पुलिस एवं जनता में आपसी विश्वास बढ़ेगा एवं अपराध नियंन्त्रण में मदद मिलेगी।

द्वितीय सत्र बच्चों की देखरेख एवं पुनर्वास पर एक संवाद सत्र हुआ जिसकी अध्यक्षता करते हुए हंसा सिंह देव, सदस्य राजस्व बोर्ड ने बच्चों का संस्थानिक देखरेख एवं पुनर्वास के संदर्भ में कहा कि संस्थानिक देखरेख से ज्यादा महत्वपूर्ण पारिवारिक देखरेख है। संस्थाएँ परिवार के नहीं होने की स्थितियों में महज एक विकल्प के रूप में है। तमाम प्रयासों के बाद भी संस्थानिक देखरेख अभी अपनी पूर्ण गुणवत्ता के स्तर पर नहीं आ पायी है।

पारिवारिक देखरेख के लिए प्रोत्साहन हेतु विभिन्न सरकारी योजनाएँ हैं जिनका लाभ पहुँचाने के लिए आम जन तक सूचनाएँ पहुँचनी चाहिये। उन्होंने फोस्टर केयर को प्रोत्साहित करने पर बल दिया क्योंकि यह प्रक्रिया बच्चों के सामाजिकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण होने के साथ ही समाज के अन्य लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित करती है।

राधाकान्त सक्सेना ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 पर चर्चा की। राज्य में सरकारी एवं गैर सरकारी होमस् निर्धारित मापदण्डों से कमजोर है। गुणवत्ता सुधारों की अभी व्यापक जरूरत है। गैर सरकारी संस्थाओं की मदद सम्प्रेक्षण गृह चलाने में ली जा सकती है।

श्री ओम प्रकाश प्राचार्य एवं उपनिदेशक आरपीए ने विकास में बच्चों एवं सामाजिक रूप से असुरक्षित लोगों के मुददों को प्राथमिकता से नहीं रखे जाने की बात कही। विधि विरुद्ध बच्चों के सम्प्रेक्षण गृहों की स्थितियों पर कहा कि इनकी सेवाएँ एकीकृत नहीं हैं। ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जिसमें संस्थागत सेवाओं में समन्वय हो। संस्थागत उपाय इसलिए किये जाते हैं कि परिवार में कुछ मुश्किलें हैं। उन्होंने ऐसे बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य परामर्श एवं पुनर्वास सेवाओं की बेहतरी पर जोर दिया।

बाल संरक्षण का महत्व एवं कार्यनीति पर चर्चा करते हुए श्री बी एल सोनी अतिरिक्त महानिदेशक (एसडीआरएफ) ने कहा कि बच्चे हमारी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। बच्चों की सुरक्षा हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। वर्तमान में हम जो प्रयास कर रहे हैं उन्हें ओर बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि कुल अपराधों में बच्चों के द्वारा होने वाले अपराधों की संख्या मात्र एक प्रतिशत से भी कम है। अतः ऐसे बच्चों के प्रति हमारा दृष्टिकोण सुधारात्मक होना चाहिये। उन्होंने बच्चों की सुरक्षा के लिए व्यावहारिक पुलिसिंग के विभिन्न उठाये जाने योग्य कदम बताये। बच्चों की सुरक्षा को उन्होंने प्राथमिकता में लेना के लिए कहा।

विशेष रूप से योग्य बच्चों के पुनर्वास एवं चुनौतियों पर अनिल मुद्गल, आरूषी संस्था भोपाल ने कहा कि विकलांग बच्चों की समस्याएँ अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक होती हैं। उनके साथ दुर्व्यवहार की संभावनाएँ अधिक एवं पुनर्वास कठिन होता है। स्कूलों में प्रवेश कराना चुनौतीपूर्ण होता है जबकि जरूरत इस बात की होती है कि सामान्य

बच्चों के साथ इन्हें रखा जाये ताकि उनकी दैनिक कार्यों एवं बुद्धि कौशल का तेजी से विकास हो। उन्होंने स्वैछिक संगठनों की बाल अधिकारों हेतु किये गये नवाचारों के बारे में प्रकाश डाला।

संवाद सत्र में गुमशुदा बच्चे की समस्याएँ एवं अनुसंधान पर शशांक शेखर, अधिवक्ता नई दिल्ली ने कहा कि बाल तस्करी में शामिल इनके परिवारजनों, सम्बंधियों, संगठित गिरोह एवं रोजगार देने वाली एजेंसियों, उनके एजेन्ट्स या नियोजकों की गणना एवं देखरेख के लिए सरकार को किसी तरह के डिवाइस के बनाने की जरूरत है। बच्चों के खोने पर इतनी सारी मानक प्रक्रियाएं एवं दिशा निर्देश होते हैं कि पुलिस को इनके संधारण में अनेक कठिनाईयों से गुजरना पड़ता है। उन्होंने गृह मंत्रालय की मानक प्रक्रियाओं एवं दिशा निर्देशों को काम में लेने के लिए कहा। खोये हुए बच्चों की पहचान एवं पुनर्वास विषय पर शशांक शेखर अधिवक्ता ने कहा कि बच्चों का खोना किसी भी परिवार के लिए सबसे अधिक पीड़ादायक होता है। उन्होंने इसके लिए कार्यनीतियों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों पर चर्चा की।

श्री विष्णुदत शर्मा सीजेएम एवं उप सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति बच्चों के मामलों में संवेदनशीलता को मूलभूत मानवीय स्वभाव बनाये।

संजय निराला कार्यक्रम अधिकारी यूनिसेफ ने बाल अधिकारों के संदर्भ में कहा कि बहुत सारे बच्चे आज भी मानवीय स्थितियों एवं बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं एवं स्कूल जाने के बजाय काम में धकेले हुए हैं। बच्चे शारीरिक, यौन व भावनात्मक शोषण और उपेक्षा से पीड़ित हैं एवं पुलिस तक पहुँचने में कतराते हैं। बच्चे इस असुरक्षित वातावरण में बड़े होकर, विकास एवं जिम्मेदारी, विश्वास एवं ताकत के सन्दर्भ में कमजोर रह जाते हैं।

श्री आनन्दवर्धन शुक्ला अतिरिक्त निदेशक आरपीए ने बच्चों के लिए न्याय संगत विधिक कार्यवाहियाँ, पुनर्वास एवं इनके अधिकारों का संरक्षण सभी हितधारकों के लिए चुनौती बताया एवं बाल मित्र वातावरण के निर्माण पर जोर दिया। विष्णुदत्त शर्मा सीजेएम एवं सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति बच्चों के मामलों में संवेदनशीलता को मूलभूत मानवीय स्वभाव बनाये।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन सत्र में देवराजन सदस्य मानव अधिकार आयोग ने कहा कि बच्चों के मामलों में हमें अतिरिक्त सावचेती की जरूरत है। बच्चों को न्याय के साथ ही पुर्नउद्धार एवं पुनर्वास की जरूरत होती है इसके बिना हम बाल अधिकारों एवं मानव अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। बच्चों के हित में किया गया एक सही निर्णय बच्चे के जीवन को सही दिशा दे सकता है। बचपन बचाओ आन्दोलन के कार्यकारी निदेशक

धन न्जय टिंगल ने राष्ट्रीय स्तर पर हुए बच्चों के पुनर्वास कार्यक्रम की कार्यनीति एवं अनुभवों को साझा किये। अन्त में आनन्दवर्धन शुक्ला ने आगन्तुकों का आभार व्यक्त किया। बाल संरक्षण कानूनों पर आयोजित यह राज्यस्तरीय कार्यशाला श्री ओम प्रकाश प्राचार्य एवं उपनिदेशक आरपीए के निर्देशन एवं डॉ. अनुकृति उज्जैनियाँ के सह निर्देशन में आयोजित की गयी।

बाल मित्र पुलिस थाना – मानसरोवर

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा बाल संरक्षण की अभिनव पहल करते हुए जयपुर शहर के पुलिस थानों मानसरोवर को बाल मित्रवत् थाने के आदर्श के रूप में भी तैयार किया । इस अवसर पर श्री भगवान लाल सोनी अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एवं निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर, जयपुर पुलिस कमिश्नर श्री जंगा श्रीनिवास, यूनिसेफ के बाल संरक्षण अधिकारी श्री संजय निराला, पुलिस उप आयुक्त (दक्षिण) श्री रविदत्त गौड भी उपस्थित थे। उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करते हुए श्री भगवान लाल सोनी के कहा कि एक आदर्श थाना ऐसा होना चाहिये जिसमें इलाके के पीड़ित बच्चें अपने विरुद्ध किसी भी प्रकार का अन्याय होने पर भयमुक्त होकर पुलिस थाने में सुरक्षित माहौल में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराये ।

जयपुर पुलिस कमिश्नर श्री जंगा श्री निवास राव ने मानसरोवर थाने को बाल मित्रवत् बनाये जाने के लिए पहल किये जाने के लिए राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर का आभार व्यक्त किया एवं कहा कि पुलिस बल को बच्चों के कानूनों को संवेदनशीलता से लागू करने की आवश्यकता है ताकि आमजन में पुलिस की एक बेहतर तस्वीर उभरे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को बच्चों के सर्वोत्तम हित में कार्यों के निष्पादन हेतु निर्देशित किया।

संजय कुमार निराला कार्यक्रम अधिकारी बाल संरक्षण यूनिसेफ ने कहा कि ऐसे कदम बच्चों को मुश्किल स्थितियों से बाहर निकालने एवं पीड़ित बालकों के लिए सम्मानजनक कार्यवाही कर उन्हें पुनः समाज की मुख्य धारा में लाने में मददगार साबित होंगे। यूनिसेफ ऐसे नवाचारी कार्यों के लिए हमेशा सहयोग देने में तत्पर रहेगा। पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) श्री रविदत्त गौड ने बाल मित्रवत् थाने की महत्ता बतायी। उन्होंने कहा कि इस थाने पर बच्चों के हित में कार्यवाहियाँ अधिकतम प्रभावशाली होनी चाहिये जिससे अन्य पुलिस थाने भी इस संकल्पना को अपनाने में अग्रसर हो सकें एवं प्रेरणा ले सकें।

कार्यक्रम की संयोजक अनुकृति उज्जैनियाँ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं सहायक निदेशक आर.पी.ए. ने आदर्श थाने की रूपरेखा एवं कार्यप्रणाली के बारे में अवगत कराया एवं महिला एवं बाल डेस्क की प्रभावशीलता एवं बच्चों का थाने पर भ्रमण सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में शहर के थानों में पदस्थापित पुलिस अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं बाल कल्याण अधिकारियों, जन–साधारण एवं बच्चों को आंमत्रित किया गया था।

इस कार्यक्रम के दौरान ''महिला एवं बाल डेस्क'' पुस्तक का विमोचन किया गया।

बालमित्र पुलिस थाना – सदर टोंक

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा बाल संरक्षण के बहुआयामी प्रयासों के तहत टोंक जिले के एक पुलिस थाने सदर को बालमित्रवत् थाने को आदर्श के रूप में भी तैयार किया किया गया । इसका उद्घाटन 12 जनवरी, 2015 मुख्य अतिथि श्री भगवान लाल सोनी अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एवं निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर द्वारा किया गया। इस उद्घाटन सत्र में रतन लाल भार्गव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टोंक, रामनिवास मीणा वृताधिकारी टोंक व सदर थाने के थानाधिकारी रमेश शर्मा, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष माया सुवालका, स्वयंसेवी संगठन, सी.एल. जी. सदस्य एवं विद्यालयों के विद्यार्थी उपस्थित रहे।

उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करते हुए श्री बी.एल. सोनी ने कहा कि यह थाना दूसरों के लिए एक आदर्श होगा। आमजन यहाँ की कार्य प्रणाली को देख एवं समझकर कुछ सीख सकेंगे। यहाँ का माहौल ऐसा होना चाहिए कि बच्चे बिना डर के थाने का भ्रमण कर सकें। बच्चों एवं महिलाओं को न्याय के लिए पुलिस के पास आने में किसी भी तरह का भय नहीं होना चाहिये।

इस अवसर पर श्रीमती अनुकृति उज्जैनियाँ, सहायक निदेशक, आर.पी.ए. जयपुर ने बच्चों एवं समुदाय के लोगों को पुलिस थाने एवं महिला एवं बाल डेस्क की कार्यप्रणाली से परिचय कराया। श्री रतनलाल भार्गव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टोंक ने जिले को बाल मित्रवत् बनाये जाने के लिए पहल किये जाने के लिए, राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर का आभार व्यक्त किया। इस आदर्श थाने की महिला एवं बाल डेस्क कक्ष का विद्यालय के बालकों से फीता कटवाकर शुभारम्भ किया गया। कक्ष को संसाधनों से परिपूर्ण कर बाल अधिकारों एवं बाल मित्रवत् चित्रों से सजाया गया।

इसी संकल्पना को साकार करने के लिए अकादमी द्वारा एक परामर्शद की सेवाएं टोंक पुलिस को दी जाकर एक अस्थायी कार्यालय भी पुलिस लाइन में स्थापित किया गया है जिससे परामर्शद विद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों एवं पुलिस के साथ मिलकर टोंक जिले में बाल मित्रवत व्यवहारों में मददगार साबित हो सकें।

थानाधिकारी श्री रमेश तिवाड़ी ने अकादमी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि थाने पर बच्चों का भ्रमण एवं अन्य आयोजन किये जाकर पुलिस की कार्यप्रणाली, यातायात नियमों एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों से बचाव के बारे में जानकारियाँ दी जावेगी।

बाल मित्रवत् गतिविधियाँ – विद्यालय भ्रमण

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा बाल संरक्षण के बहुआयामी प्रयासों के तहत टोंक जिले के विद्यालयों में बाल सुरक्षा पर कार्यक्रम आयोजित किये गये। विद्यालयों में बच्चों के साथ सामूहिक चर्चा कर बाल संरक्षण पर एक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया ।

प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के लिए सर्वप्रथम प्रत्येक उपखण्ड से एक–एक कुल पाँच विद्यालयों का चयन किया गया। प्रधानाचार्यों से सहमति ली जाकर ग्यारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया। चयन किये गये विद्यालयों का परिचय निम्नानुसार है –

विवेकानन्द पब्लिक सी. सैकण्डरी स्कूल, टोंक	टोंक शहर, टोंक	131
राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, टोडारायसिंह	टोडारायसिंह	130
राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ककोड	उनियारा	49
सरस्वती बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, निवाई	निवाई	79
महर्षि गौतम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, डिग्गी	मालपुरा	119
राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, देवली	देवली	80

उस प्रतियोगीता में विद्यार्थियों से बाल संरक्षण से सम्बन्धित सामान्य सवाल पूछे गये। मुख्यतः सवाल बाल अधिकार ,बाल सुरक्षा से आशय, यौन उत्पीड़न के प्रति समझ, बाल अपराध एवं पुलिस व्यवहार कार्यवाहियों के संदर्भ में प्रथम सूचना रिपोर्ट, लड़की की तलाशी, बच्चों की निरूद्धगी, हथकड़ी पहनाने, हवालात में बंद करने, निरुद्ध किये गये बच्चों के साथ में पुलिस की वर्दी आदि के बारे में दृष्टिकोण जानने पर आधारित थे।

कुछ सवाल बच्चों की आयु, लड़के एवं लड़की के विवाह की सही उम्र, राज्य में लिंग अनुपात कम होने के कारण, बाल श्रमिक व बाल तस्करी, बच्चों के जीवन से जुड़े खतरे, कन्या भ्रूण हत्या, परित्याग, बाल विवाह एवं बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली पारम्परिक प्रथाओं पर आधारित थे। पुलिस के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव के लिए पुलिस मित्रवत् कैसे बनायी जा सकती है, पर सवाल पूछे गये। चाइल्ड लाईन एवं पुलिस हेल्पलाइन के नम्बर भी जाने गये। प्रश्नोतरी के बाद बच्चों को बाल सुरक्षा के कानूनों एवं पूछे गये प्रश्नों के बारे में चर्चा की गयी।

विद्यालय गतिविधि – परिणाम

विद्यालयों में आयोजित प्रश्नोत्तरी के मूल्यांकन से यह देखने में आया कि विद्यार्थियों के बाल अधिकारों के बारे में सतही जानकारियाँ थीं। उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी बाल अधिकारों की उद्घोषणा एवं इस पर भारत सरकार द्वारा की गयी प्रतिबद्धता के बारे में जानकारियाँ नहीं थीं। उन्होंने अपने उत्तर में जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को ही इंगित करते हुए अधिकारों के बारे उत्तर दिये।

अधिकांश विद्यार्थियों को एफआईआर, विधि विरुद्ध बच्चों को लॉक अप में नहीं रखने, हथकड़ी नहीं लगाने के बारे में जानकारियाँ थीं। सामाजिक कुप्रथाओं, बालिकाओं की उपेक्षा, बाल विवाह, बाल श्रम, कन्या भ्रूण हत्या एवं उनसे होने वाले नुकसानों के बारे में जानकारियाँ थीं। समाज में त्यागे हुए बच्चों एवं खोये हुए बच्चों के सम्बन्ध में जानकारी ऐसे बच्चों को किसी अनाथालय में भिजवाने तक ही थी लेकिन इनके लिए कार्यरत बाल कल्याण समिति के बारे में कुछ ही बच्चों को पता था। ज्यादातर विद्यार्थियों को अपने माता–पिता, परिवारजन एवं विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा की जाने वाली मार पीट का सम्बन्ध अपराध से होना नहीं बताया। कई विद्यार्थी इसे जायज भी मान रहे थे। विद्यार्थियों को पुलिस थानों में पदस्थापित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के बारे में जानकारी नहीं थी। इन विद्यालयों के बच्चों की उत्तर पुस्तिकाओं को चैक किया गया एवं मूल्यांकन किया जाकर जिला एवं खण्ड स्तर पर पुरस्कृत किया गया।

क्र.स.	नाम विद्यार्थी	कक्षा	विद्यालय का नाम
1	विनोद कुमार गुर्जर	ग्यारहवीं	रा.उ.मा. विद्याालय, टोडारायसिंह
2	लोकेश शर्मा	ग्यारहवीं	विवेकानंद पब्लिक स्कूल, बड़ा कुँआ
3	काली सैनी	ग्यारहवीं	रा.उ.मा. विद्यालय, ककोड
4	वर्षा अग्रवाल	दसवीं	सरस्वती बालिका उ.मा. विद्यालय, निवाई
5	सुमन कंवर	ग्यारहवीं	महर्षि गौतम उ.मा. विद्यालय, डिग्गी मालपुरा
6	पंकज कुमार दाधीच	ग्यारहवीं	रा.मल्टीपरपज उ.मा. विद्यालय, देवली

समाजोपयोगिता शिविर -बाल सुरक्षा

राज्य के लगभग सभी विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा विभिन्न सह–पाठ्यक्रम गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता रहा है। इससे बच्चों को सर्वांगीण विकास में मदद मिलती है। ऐसे ही समाजिक चेतना एवं समुदाय के प्रति जवाबदेही के लिए समाजोपयोगी शिविर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण, उनियारा में 23 नवम्बर, 2015 को आयोजित किया गया ।

इस समाजोपयोगी शिविर के अन्तर्गत ''बालिका सुरक्षा पर प्रशिक्षण'' का कार्यक्रम पुलिस अकादमी के साथ आयोजित किया गया इसमें अनुकृति उज्जैनियाँ अति. पुलिस अधीक्षक एवं वृत्ताधिकारी उनियारा, शीला फोगावट ने भाग लिया।

आरम्भ में विद्यार्थियों से बालकों के अधिकारों से संबंधित अधिकारों पर प्रश्न पूछे जिनके बारे में विद्यार्थियों को कोई पूर्व जानकारी नहीं थी। उज्जैनियाँ ने कहा कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन अति आवश्यक है। यह शिविर हमें कठिन परिश्रम एवं आत्म विश्वास में रहना सीखाते हैं। आत्म रक्षा के मुद्दों पर महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा करते हुए बताया कि जिस प्रकार देश में ही नहीं, छोटे–छोटे शहरों और कस्बों तक में बालिकाओं के साथ छेड़खानी की घटनाएँ हो रही हैं। उससे इस समय में महिलाओं के सम्मान को लेकर नई जागृति नजर आ रही है। स्कूल–कॉलेज

के छात्र–छात्राएँ इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कड़े कानून भी बन रहे हैं और दोषियों के खिलाफ मुकदमों के शीघ्र निपटारे की दिशा में काम हो रहा है। बालिकाओं को स्वयं को सुरक्षा के लिए सावधानियों के बारे में जानकारी दी गई कि जब भी घर से निकले अपने परिवारजन को गन्तव्य स्थान एवं आने का समय बतायें। पैदल चलते हुए फोन पर ज्यादा लम्बी बात नहीं करें एवं आगे पीछे देखते हुए रहें कि कोई आपका पीछा तो नहीं कर रहा है। लोगों पर आँख मूँदकर विश्वास नहीं करें व विवेक से निर्णय लें। विद्यालय के आसपास जारी पुलिस गश्त व्यवस्था, पी.सी.आर. वैन, मोटर साइकिल गश्ती दल के बारे में जानकारी रखें एवं कहीं भी छेड़खानी की हरकतें सामने आये तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। आत्म रक्षा प्रशिक्षण – जूडो, ताईक्वान्डो, कूंग फू, इत्यादि में रुचि लें। सुरक्षा टिप्स सीखें एवं अन्य बालिकाओं को भी जानकारी दें।

वृत्ताधिकारी शीला फोगावट ने बताया कि समय के साथ–साथ समाज के सभी पहलुओं में परिवर्तन हो रहा है। हम स्वयं बदलते हैं, हमारे सम्बन्ध बदलते हैं और वातावरण भी बदलता है। यह परिवर्तन हमारी बदलती आवश्यकताओं और बाहरी वातावरण से प्रभावित है। समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, अन्धविश्वास और गलत मान्यताएँ

वास्तविकता में अशिक्षा का परिणाम है। इनमें बदलाव लाने के लिए सभी को शिक्षित करना होगा। उन्हें शिक्षा का महत्त्व समझाना होगा। हमें बताना होगा कि शिक्षा से तात्पर्य केवल साक्षर होना ही नहीं है वरन् शिक्षा का सही अर्थ मानवीय मूल्यों एवं ज्ञान का विकास करना है। समाज के प्रति हमारी सजगता ही सकारात्मक बदलाव के प्रति पहला कदम है। सजगता के साथ जरूरत है कि हम विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त कर अपने आत्म विश्वास और सामाजिक दायित्व की भावना को विकसित करें, हम युवा इस समाज को एक बेहतर स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। बूँद–बूँद से घड़ा भरता है। हमें सोचना है कि क्या हमने अपने हिस्से की बूँदें डाली हैं। हमें हमारे अन्दर देश प्रेम की भावना को भी बनाया रखकर भाईचारे का संदेश देकर सबको साथ लेकर चलना है तभी हम देश के प्रति हमारे कर्त्तव्यों को पूर्ण कर पायेंगे।

इस समाजोपयोगी शिविर में बच्चों को स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी दी गयी। बच्चों से वृक्षारोपण करवाया जाकर प्रत्येक वृक्ष की जिम्मेदारी भी उन्हें दी गयी।

समूह वार्ता

राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा अपने बाल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समूह चर्चा के दौरान 'बाल संरक्षण से जुड़ी समस्याएँ एवं समाधान' विषय पर प्रशिक्षण के प्रतिभागियों के साथ समूह चर्चा का आयोजन करती आयी है। जिसका मुख्य उद्देश्य बाल संरक्षण में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं का कार्य के दौरान आने वाली समस्याओं को चिन्हित कर बेहतर समन्वय स्थापित करना है। समूह चर्चा के दौरान महत्त्वपूर्ण बिन्दु निकलकर सामने आये है –

पुलिस विभाग

- जिला पुलिस अधीक्षक स्तर पर आयोजित अपराध समीक्षा बैठकों में बच्चों से जुड़े प्रकरणों की पृथक से समीक्षा की वर्तमान में कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे प्रकरणों की प्रत्येक बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा पृथक से समीक्षा की जानी चाहिये।
- थानों पर कार्यरत बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों में बाल सुरक्षा से सम्बन्धित कानूनों की जानकारी का अभाव है। जिन्हे प्रशिक्षण की अति आवश्यकता है।
- जिले में कार्यरत विशेष किशोर पुलिस इकाई की समय पर मीटिंग आयोजित नहीं की जाती एवं ना ही मीटिंग में सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होते हैं।
- बाल संरक्षण में कार्यवाही के दौरान बाल कल्याण समिति की उपलब्धता कम रहती है।
- बालक को निरुद्ध किये जाने पर रात्रि में रखने के स्थान का अभाव है क्योंकि प्रत्येक थाना क्षेत्र में बालगृह एवं सम्प्रेक्षण गृहों के बीच काफी दूरियाँ हैं।
- पुलिस के पास संसाधनों की कमी होने के कारण बाल संरक्षण में प्रभावी कार्यवाहियाँ नहीं हो पाती हैं।
- जनता से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता है। पुलिस के सामुदायिक सम्पर्क समूह को आमुखीकृत कर सहयोग का स्तर बढ़ाया जा सकता है।
- पीड़ित बालिका के 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान विलम्ब से होते हैं।
- राज्य के कई जिलों, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर बाल संरक्षण समितियों का गठन किया हुआ है एवं इनकी निर्धारित समयानुसार बैठकें आयोजित किये जाने का प्रावधान है। पुलिस के बीट कानि. को ऐसी बैठकों में शामिल किया जाना चाहिए।

किशोर न्याय बोर्ड

- विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को किशोर न्याय बोर्ड की जानकारी का अभाव है।
- अधिकतर प्रकरणों में थाने पर बालकों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत मिलती है। इसमें सुधार के लिए प्रत्येक जिले में आदर्श बाल मित्रवत् थाने स्थापित कर एक आदर्श प्रस्तुत किया जा सकता है।

- बालकों की जांच रिपोर्ट में उम्र सम्बन्धी दस्तावेजों व उम्र निर्धारण का अभाव रहता है।
- बालकों से सम्बन्धित अपराधों की जांच रिपोर्ट समय पर बोर्ड में पेश नहीं होती है।
- सम्प्रेक्षण गृहों में संसाधनों का अभाव है। मनोरंजन के साधन नहीं हैं।
- बालकों के प्रकरणों के सम्मन की तामील समय पर नहीं होती।
- पुलिस एवं अन्य गवाह नियत तिथि पर गवाही हेतु बोर्ड के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं।
- विधि से संघर्षरत बच्चों की पुर्नस्थापना के लिए गुणवत्तापूर्ण परामर्श सेवाओं की जरूरत होती है जो वर्तमान में सन्तोषप्रद नहीं है। अतः इसके लिए कुशल परामर्शदाताओं की सेवाएँ ली जानी चाहिये।

बाल कल्याण समिति

- बाल कल्याण समिति के कार्यदिन कई जिलों में कम हैं इनके कार्य दिवसों की संख्या बढ़ायी जानी चाहिये ।
- पुलिस के द्वारा बालकों के प्रकरणों की 24 घण्टों में जाँच की प्रगति नहीं भिजवायी जाती है।
- जिलों में बालिका गृहों का अभाव है।
- बाल कल्याण समिति के पास संसाधनों का अभाव है एवं अन्य संस्थाओं से समय पर सहायता नहीं मिल पाती है।
- जिलों में पालनागृहों का अभाव है। अस्पताल एवं आवास गृहों में पालना गृह होने चाहिये।
- थानों में बाल संरक्षण से जुड़ी संस्थाओं के सम्पर्क सूत्र एवं पते दृश्यमान होने चाहिये।
- नवजात बालकों को रखने के लिए शिशु गृहों में सुविधाओं का अभाव है।

स्वयंसेवी संगठन

- बालकों को बालश्रम से मुक्त करवाने के बाद भी प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस द्वारा दर्ज नहीं की जाती है। इसके लिए बाल संरक्षण से जुड़े सभी राजकीय विभागों की एक सम्मिलित टास्क फोर्स बनायी जा सकती है।
- मूक बधिर बालकों के लिए विशेष शिक्षकों एवं सलाहकारों का अभाव है।
- बालकों को बाल कल्याण समिति के द्वारा परिवारजनों को सुपुर्द करने के बाद उसकी निगरानी नहीं होती है।
- जिलों में बाल सुरक्षा की जागरूकता प्रशिक्षणों एवं समन्वय मीटिंग का अभाव है। एजेंसियों का एक वाट्सएप ग्रुप होना चाहिए।
- थानों में क्षेत्राधिकार का प्रश्न आने पर कार्यवाही नहीं होती है।
- बाल विवाह के प्रकरण पुलिस प्राथमिकता में नहीं होते। इसके लिए निरन्तर प्रयास किये जाने चाहिये।
- जिलों में बाल संरक्षण हेतु कार्यरत 'मल्टी टास्क फोर्स' में बच्चों को भी शामिल किया जावे।

अकादमी स्तर पर प्रकाशित प्रकाशन

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

राजस्थान पुलिस अकादमी में बालकों से सम्बन्धित **"लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012"** के सन्दर्भ में मार्गदर्शिका का प्रकाशन किया गया जिसका लेखन अनुकृति उज्जैनियाँ सहायक निदेशक, (सीडीपीएसएम) व शालिनी सिंह परामर्शद् आरपीए द्वारा किया गया है।

देश में बालकों के साथ बढ़ते लैंगिक अपराधों व यौन हिंसा की रोकथाम तथा कानूनी प्रावधानों को मजबूती प्रदान करने के लिए यह अधिनियम द्वारा 14 नवम्बर, 2012 से पूरे देश में प्रभावी हुआ है।

मार्गदर्शिका में बालकों के साथ में होने वाले विभिन्न प्रकार के यौन अपराधों व उत्पीड़न का विस्तार व सरल भाषा में उल्लेख किया गया है साथ ही यदि किसी बालक के साथ किसी भी प्रकार का यौन अपराध गठित होता है, तो उसके लिए सजा के प्रावधानों पर चर्चा की गयी है।

मार्गदर्शिका में अश्लील साहित्य के लिए बालकों का प्रयोग, अपराध का दुष्प्रेरण, गठित अपराध की रिर्पोटिंग नहीं करना, मीडिया द्वारा बालकों के चित्रण पर बाध्यता, मिथ्या परिवाद की सूचना के सम्बन्ध में भी कानूनी प्रावधानों से अवगत करवाया गया है।

मार्गदर्शिका में पुलिस की भूमिका पर विस्तृत चर्चा की गयी है कि पुलिस सूचना मिलने से प्राथमिकी दर्ज करने पर क्या–क्या कार्यवाही करेगी व जाँच के दौरान पुलिस को पीड़ित के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना आवश्यक है की जानकारी दी गयी है।

पीड़ित का चोटों व उम्र सम्बन्धित दस्तावेज प्राप्त करना, साक्ष्य एकत्रित करना, पीड़ित को मिलने वाली आर्थिक सहायता व राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 की जानकारी मार्गदर्शिका में प्रदान की गयी है।

किशोर न्याय व्यवस्था एवं पुलिस की भूमिका

बालकों से सम्बन्धित मार्गदर्शिका **"किशोर न्याय व्यवस्था एवं पुलिस की भूमिका"** का संपादन अनुकृति उज्जैनियाँ, अति. पुलिस अधीक्षक व लेखन श्री विश्वास शर्मा परामर्शद् (यूनीसेफ) आरपीए, जयपुर द्वारा किया गया है। मार्गदर्शिका में किशोर न्याय व्यवस्था को बहुत ही व्यापक व संवेदनशीलता के साथ बताया गया है।

किशोर न्याय व्यवस्था के प्रत्येक चरण जिसमें बालकों के विरुद्ध एवं बालकों द्वारा किए जाने वाले प्रकरणों में आयु निर्धारण सम्बन्धित प्रक्रिया, बालगृहों, किशोर के मामलें में अपनायी जाने वाली जाँच प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

मार्गदर्शिका में विधि से संघर्षरत किशोर, देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों तथा पीड़ित बच्चों की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास के बारे में समुचित व विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी है। यह मार्गदर्शिका किशोर न्याय व्यवस्था व पुलिस की भूमिका पर पुलिस अधिकारियों एवं अन्य एजेन्सियों की समझ को बेहतर बनाने में मदद करेगी जिससे बच्चों के हित में न्यायपूर्ण कार्यवाहियाँ हो सकें।

बच्चों के संरक्षण को सुरक्षित करना सभी एजेन्सियों का जिसमें पुलिस, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, गैर सरकारी संगठन, सीएलजी का संगठित होकर प्रयास होना चाहिये, जिससे बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सके।

मानव तस्करी विरोधी एवं गुमशुदा व्यक्ति प्रकोष्ठ

राजस्थान पुलिस अकादमी में बालकों से सम्बन्धित मार्गदर्शिका **"मानव तस्करी विरोधी एवं गुमशुदा व्यक्ति प्रकोष्ठ"** का संकलन श्री विश्वास शर्मा परामर्शद् आरपीए, जयपुर द्वारा किया गया है।

मानव तस्करी एक संगठित अपराध है, जो किसी न किसी रूप में समाज में व्याप्त है। मार्गदर्शिका द्वारा मानव तस्करी के विभिन्न आयामों को सरलतापूर्वक समझाने का प्रयास किया गया है, जिसमें बताया गया है कि मानव तस्करी मुख्यतया रूप से लैंगिक शोषण, मानव अंगों का प्रत्यारोपण, घरेलू कार्य हेतु, शादी का झांसा, उद्योगों में कार्य एवं बीड़ी निर्माण जैसे कार्य के लिए की जाती है।

मार्गदर्शिका में मानव तस्करी विरोधी एवं गुमशुदा व्यक्ति प्रकोष्ठ की संरचना, प्रकोष्ठ के दायित्व, पुलिस की भूमिका, गुमशुदा बच्चों के प्रकरणों में पुलिस की भूमिका का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है इसके साथ ही भारतीय दण्ड संहिता में वर्णित धाराओं का एवं संशोधन एवं विभिन्न माइनर एक्ट एवं प्रत्येक बच्चे की गुमशुदगी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने एवं प्रोफार्मा के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी है।

गुमशुदा बच्चों के सम्बन्ध में थानाधिकारी, वृताधिकारी, पुलिस अधीक्षक, रेन्ज व पुलिस मुख्यालय स्तर पर किये जाने वाले पर्यवेक्षण का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिससे प्रत्येक स्तर पर गुमशुदगी मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकें।

बालकों एवं महिलाओं से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण एजेन्सियों

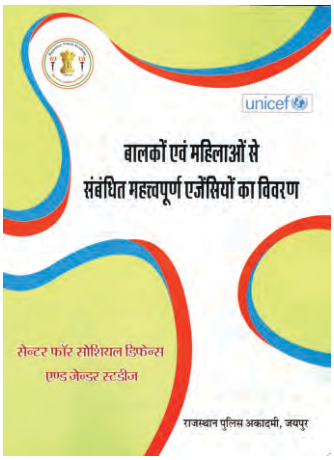

राजस्थान पुलिस अकादमी में बालकों से सम्बन्धित **"मार्गदर्शिका बालकों एवं महिलाओं से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण एजेन्सियों"** को विवरण का संकलन श्री विश्वास शर्मा परामर्शद् आरपीए, जयपुर द्वारा किया गया है। मार्गदर्शिका में पुलिस अधिकारियों, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति एवं बालकों से जुड़े सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों से जुड़े महत्त्वपूर्ण अधिकारियों के नाम, पद, सम्पर्क सूत्र की पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गयी है। प्रायः यह महसूस किया जाता रहा है कि बाल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न एजेन्सियों में समन्वय का अभाव है।

बालकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने में सभी एजेन्सियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि बच्चें समाज का महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील अंग है जो जाने अनजाने पुलिस एवं अन्य संगठनों के सम्पर्क में आते हैं। महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा एवं देखरेख के लिए सरकार ने विभिन्न कानून बनाये हैं। जिसकी पालना सुनिश्चित करना एवं उनके प्रति घटित अपराधों में त्वरित अनुसंधान, प्रभावी रोकथाम, पुनर्वास एवं मुआवजा सहायता दिलाना पुलिस एवं अन्य एजेन्सियों का दायित्व है। मार्गदर्शिका द्वारा यह जानकारी देने का प्रमुख उद्देश्य है कि सभी एजेन्सियों का विवरण निम्नस्तर तक पहुँच सके।

सेन्टर फॉर सोशियल डिफेन्स एण्ड जेण्डर स्टडीज, आर.पी.ए. जयपुर

श्रीमती अनुकृति उज्जैनियाँ
अति. पुलिस अधीक्षक
सहा. निदेशक (आर.पी.ए.)

श्री धीरज वर्मा
पुलिस निरीक्षक
(आर.पी.ए.)

श्री विश्वास शर्मा
परामर्शद्
युनिसेफ (आर.पी.ए.)

श्री यदुराज शर्मा
परामर्शद्
युनिसेफ (आर.पी.ए.)

श्री शालिनी सिंह
परामर्शद्
युनिसेफ (आर.पी.ए.)

अतिथि वक्ता

महेन्द्र कुमार दवे
सी.जे.एम., डिप्टी रजिस्ट्रार
राज्य उपभोक्ता आयोग, जयपुर

माया सुवालका
अध्यक्ष
बाल कल्याण समिति, टोंक

श्री रमाकान्त सन्तपथे
कार्यक्रम अधिकारी
बाल संरक्षण

श्रीमती सन्तोष अग्रवाल
पूर्व सदस्य
बाल कल्याण समिति

देवशी सिंह
समन्वयक
चाइल्ड लाइन, टोंक

नीतू प्रसाद
परामर्शद्
बाल संरक्षण

धर्मवीर यादव
परामर्शद्
बाल संरक्षण

श्री ओमप्रकाश
उप पुलिस अधीक्षक
जयपुर

श्री डी.पी. सैनी
सेवानिवृत्त, ए.डी.पी.

बाल सुरक्षा एवं कानून

unicef
Unite for children

बालकों के प्रकरणों में पुलिस अधिकारी ध्यान देवें ।

क्या करें :-

1. बालकों से पूछताछ अनुकूल व मैत्रीपूर्ण वातावरण में की जावे ।
2. देख-रेख व संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को 24 घण्टे में बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करें ।
3. बालक को दुभाषिया या विशेष शिक्षक या विशेषज्ञ की सेवाएं दी जावे ।
4. विधि से संघर्षरत किशोर को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जावे ।
5. बालक का उम्र संबंधी दस्तावेज प्राप्त किया जावे ।
6. बालिकाओं के प्रकरण में महिला पुलिसकर्मी को साथ रखा जावे ।
7. बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, बाल गृह, चाइल्ड लाइन एवं सम्पर्क व्यक्तियों का विवरण थाने के सूचीपट्ट पर प्रदर्शित करें ।
8. महिला एवं बाल डेस्क पर महिला अधिकारी/कर्मी की नियुक्ति करें ।
9. बालकों के प्रकरण थाने के बाल कल्याण अधिकारी द्वारा देखे जावें ।
10. बालकों को चाइल्ड हेल्पलाईन (1098) के बारे में जागरूक करें ।
11. गुमशुदा बच्चों के प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करें ।

सी.डी.पी.एस.एम. राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

बाल सुरक्षा एवं कानून

unicef
Unite for children

बालकों के प्रकरणों में पुलिस अधिकारी ध्यान देवें ।

क्या ना करें :-

1. किशोर को लॉकअप में न रखें ।

2. बालकों से सम्बन्धित कार्यवाही के दौरान वर्दी का उपयोग न करें ।

3. बालकों के नाम, पते, तस्वीर व उनकी पहचान को प्रकट नहीं किया जावे ।

4. बालकों के साथ किसी प्रकार का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं किया जावे ।

5. किशोर के चरित्र सत्यापन में किसी भी अपराध का विवरण नहीं दिया जाये ।

6. अपराध में परिवार के सदस्य की लिप्तता होने पर कार्यवाही में उपस्थित नहीं रखे ।

7. बालक अथवा उसके परिवार के चरित्र और आचरण के बारे में टिप्पणी नहीं की जावे ।

8. अपराध स्वीकारने हेतु मारपीट न करें ।

9. बालकों को किसी भी स्थिति में (पहचान परेड को छोड़कर) आरोपी के समक्ष नहीं लाया जावे ।

10. विधि से संघर्षरत किशोर की सूचना आपराधिक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की जावे ।

सी.डी.पी.एस.एम. राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

कार्यशाला : बाल अधिकारों के प्रति गम्भीर रहने के लिए पुलिस अधिकारियों को समझा

अधिकारों की रक्षा करें–उज्जै

देवली में बुधवार को यूनिसेफ के सहयोग से हुई बाल सुरक्षा कार्यशाला में ... अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुलिस अकादमी जयपुर अनुकृति उज्जैनिया (इनसेट)।

महिलाओं को

टोंक @ पत्रिका. महिला बाल विकास विभाग की ओर से बुधवार को जिला परिषद सभागार में "बेटी-बचाओ, बेटी-पढ़ाओ" विषय पर कार्यशाला हुई। महिला एवं बाल विकास विभाग की उपनिदेशक ने बताया कि इसमें

अपराध रोकने के लिए संवेदनशीलता जरूरी

पुलिस अधिकारियों को दी पोक्सो एक्ट की जानकारी

उदयपुर. राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक व एडीजी बीएल सोनी ने कहा कि पुलिस संवेदनशील नहीं होगी तो एक समाज का बहुत बड़ा तबका अपराधों से पीड़ित हो जाएगा। बच्चों को अपराध करते समय ही रोक दिया जाए या समय पर उनकी काउंसलिंग हो जाए तो उन्हें अपराधी बनने से रोका जा सकता है। पुलिस

अपराध में गंभीरता से संवेदनशील होकर काम करना होगा।

सोनी गुरुवार को

साझा प्रयास से ही बाल सुरक्षा संभव

सुरक्षा पर उदबोधन देते अधिकारी।

बाल संरक्षण अधिनियम की पालना कार्ययोजना बनाकर करें: उज्जैनियां

पुलिस अकादमी व यूनिसेफ ने शुरू किया बाल संरक्षण पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

बच्चों के विकास के लिए सरकारी कार्यक्रमों को लागू करने पर जोर

राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर-यूनिसेफ राजस्थान के सहयोग से प्रशिक्षण शुरू

भरतपुर

कार्यशाला में उपस्थित अधिकारी।

बच्चों का विकास हम सबकी जिम्मेदारी

देवली नगर पालिका में बाल संरक्षण पर आयोजित कार्यशाला में उपस्थित पुलिसकर्मी।

'बच्चों की सुरक्षा के लिए संसाधन और मॉनीटरिंग की कमी बड़ी समस्या है'

कानून बने हैं। चाइल्ड एक्ट व जेजे ... को लेकर संबंधित अधिकारियों

पुलिस लाइन सभागार में चाइल्ड प्रोटेक्शन पर कार्यशाला को संबोधित करते हुए।

तामील नहीं होने

पॉस्को एक्ट पीड़ित के सामने सच और झूठ को भी परिभाषित करना होता है

हर नागरिक की जिम्मेदारी

उदयपुर. नाथद्वारा कोर्ट के एसीजे महेन्द्र कुमार दवे ने कहा कि ... में प्रावधान है कि ... से पहले नाबालिग और झूठ परिभाषित ... कैमरा ट्रायल में

बच्चों के भय को करना होगा दूर–सोनी

महिला एवं बाल डेस्क का लोकार्पण

टोंक. एडीजी बीएल सोनी बाल मित्रवत पुलिस थाना सदर का लोकार्पण अवसर पर सम्बोधित करते हुए। इस अवसर पर एडीजी सोनी ने बच्चों को कुर्सी पर बिठाकर पुलिस थाने का लोकार्पित करवाते हुए।

बच्चे बेखौफ कहें अपनी बात

कार्यालय संवाददाता | टोंक

टोंक के आदर्श थाने के रूप में अपनी पहचान रखने वाले हाइवे पर सदर थाने में मंगलवार को बाल मित्रवत कक्ष का एक बालिका ने फीता काटकर शुभारंभ किया।

कई बच्चों ने पुलिस अंकल बहुत अच्छे कहकर पुलिस से अपनी मित्रता का परिचय दिया, वहीं पुलिस अधिकारियों ने बच्चों को बाल मित्रवत कक्ष में रखी मुख्य चेयर पर बिठाया। इस पर बैठकर बच्चे गद्गद् नजर आए। बच्चों व महिलाओं में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाने के साथ ही ऐसा माहौल बनाने का प्रयास ...

प्रदेश में कहीं बालिका गृह नहीं

बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम व संरक्षण पर कार्यशाला

उदयपुर @ पत्रिका

patrika.com/city

राजस्थान पुलिस अकादमी की ओर से यहां पुलिस लाइन स्थित कॉन्फ्रेंस हाल में आयोजित ...

कानून असहाय और अपराधी दबंग

सुबह के सत्र में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीपी सिंह ने किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किशोर न्याय अधिनियम के बारे में जानकारी दी। सिटी पुलिस अधीक्षक रानू शर्मा ने कोटा जिले में एक छह वर्षीय बालिका के साथ ममेरे भाई द्वारा किए गए दुष्कर्म मामले के अनुसंधान पर प्रकाश डालते हुए बताया कि किसी घायल के थाने में पहुंचने के बाद मौत होने पर वह कस्टोडियल डेथ नहीं होती, फिर क्यों पुलिस अधिकारी डरते हैं। अन्य विभागों के अधिकारी कार्रवाई में सहयोग नहीं करें तो ... को बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि इतने कोर्स होने के ... अधिकारियों में अब भी संवेदनहीनता है। इसी कारण ... और अपराधी दबंग है। अकादमी की अतिरिक्त पुलिस ... अनुकृति उज्जैनिया ने घरेलू हिंसा में पुलिस की भूमिका पर ... हुए आज भी उपयोग में लिए जा रहे गलत शब्दों से अवगत ... बताए।

टोंक के सदर थाने में आयोजित समारोह को सम्बोधित करते अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बी. एल. सोनी।

बाल संरक्षण पर हुई कार्यशाला – पुलिस व स्वयंसेवी संस्थान तालमेल से करें कार्य

'नए कानून की अधिकारियों को नहीं जानकारी'

मां व बच्चे के अधिकार सुरक्षित रखने की आवश्यकता : मारन

अधिनियम की जानकारी दी

कार्यशाला आयोजित

मालपुरा @ पत्रिका

सेन्टर फॉर सोशियल डिफेन्स जेण्डर स्टडीज, राजस्थान अकादमी जयपुर एवं जिला टोंक के तत्वावधान में यूनिसेफ सहयोग से अटल सेवा केन्द्र में संरक्षण कार्यशाला हुई।

कार्यशाला में अतिरिक्त पु

रेंज के पुलिस अधिकारियों को दी जानकारी

सुरक्षा और कानूनों पर सेमिनार

सेन्टर फॉर डवलपमेन्ट ऑफ
पुलिस साईन्स एण्ड मैनेजमेन्ट

राजस्थान पुलिस अकादमी

नेहरू नगर, जयपुर–302016 (राज.)

फोन : 0141–2302131 फैक्स : 0141–2301878

ई–मेल : dirrpa@gmail.com/director.rpa@rajpolice.gov.in

www.rpa.rajasthan.gov.in

मुद्रक : डिजीटल प्रिन्ट सोल्यूशन, जयपुर ✆ 4043939